सत्यमेव जयते

तमिलनाडु बाढ़

सीखे गए सबक
और
सर्वोत्तम प्रथाएं
एक रिपोर्ट

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

भारत सरकार

तमिलनाडु सरकार
द्वारा वर्ष 2015 की बाढ़
के बाद में अपनाई गई
सर्वोत्तम प्रथाएँ
एनडीएमए द्वारा किए गए अध्ययन
पर एक रिपोर्ट

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
National Disaster Management Authority
भारत सरकार
Government of India

सत्यमेव जयते

प्राक्कथन

भारत में शहरी बाढ़ का आना तुलनात्मक रूप से एक नई घटना है। इन बाढ़ों की आपदा से निपटने की तैयारियों और प्रशमन के उपाय नदी की बाढ़ के उपायों से भिन्न होते हैं, जो देश में पहचाने गए बाढ़–प्रवण क्षेत्रों में किए जाते हैं।

तमिलनाडु, जो बाढ़–जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है, में उत्तर–पूर्वी मानसून हवाओं के कारण नवम्बर–दिसम्बर, 2015 के दौरान असाधारण रूप से भारी वर्षा दर्ज की गई। इसके कारण राजधानी शहर चेन्नई और आस–पास के दो जिलों–कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में विनाशकारी बाढ़ आई।

बाढ़ से सिंचाई के बुनियादी ढांचे, सड़कों और जन–सुविधाओं के साथ–साथ मानव जीवन और पशुधन की बड़ी हानि हुई। बाढ़ ने लोगों के घरेलू सामानों और मोटर वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया, और कई घरों को उजाड़ दिया। तमिलनाडु सरकार ने लोगों को राहत–सामग्री पहुंचाने तथा लोगों को राहत देने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए कई उपाय किए।

इस पृष्ठभूमि में, यह अध्ययन तमिलनाडु द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखीकरण करने के लिए किया गया था, जिनमें विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित लोगों को डुप्लीकेट रेकॉर्ड/प्रमाणपत्र जारी करना शामिल था, इस अध्ययन में राज्य द्वारा अपने शहरों को बाढ़–समुत्थानशील बनाने के लिए किए जा रहे दीर्घकालिक उपायों का भी परीक्षण किया गया। अध्ययन के आधार पर जोखिम प्रशमन के लिए कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं।

हम 2015 की बाढ़ के दौरान अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखीकरण करने के अपने प्रयासों में तमिलनाडु सरकार द्वारा दिए गए समर्थन और सहयोग के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस अध्ययन से अन्य राज्य सरकारों को बाढ़ की आपदा से निपटने की तैयारियों और पुनर्वास के प्रयासों की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

श्री कमल किशोर	डॉ. डी.एन. शर्मा	ले.जे. एन.सी. मारवाह (सेवानिवृत्त)	श्री आर.के. जैन भा.प्र.से.(सेवानिवृत्त)
सदस्य, एनडीएमए	सदस्य, एनडीएमए	सदस्य, एनडीएमए	सदस्य, एनडीएमए

एन.डी.एम.ए. भवन, ए-1, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली-110029/ NDMA Bhawan, A-1, Safdarjung Enclave, New Delhi-110 029
दूरभाष/Tel. :+91 11 26701700 फैक्स/Fax : +91 11 26701831

डॉ. वी. तिरुपुगल, भा.प्र.से
संयुक्त सचिव

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
भारत सरकार
एनडीएमए भवन
ए–1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली–110029
फोन : +91 1126701747 फैक्स : +91 11 26701816
ई–मेल : jspp@ndma.gov.in

आभार

बाढ़ सर्वाधिक उभयनिष्ठ आपदाओं में से एक है और भारत में बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करती है। देश में अच्छी तरह से सीमांकित किए गए बाढ़–प्रवण क्षेत्र हैं, जिनके लिए विभिन्न तैयारी के उपाय किए गए हैं। हालांकि, हाल के दिनों में, उन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, जहां कभी बाढ़ को खतरा नहीं माना जाता था। घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन घटनाओं का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, जिससे कारणों पर गहनता से विचार करने और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावकारी प्रणालियों को क्रियान्वित किया जा सके। इस तरह के अध्ययन से हमें कमियों की पहचान के साथ–साथ सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रलेखित करने में भी मदद मिलती है, जो आपदा प्रबंधन योजना में काम में आ सकते हैं। इस तरह के अध्ययन नई और अभिनव प्रथाओं को भी सामने लाते हैं जो प्रभावी और कुशल तरीके से ऐसे खतरों के प्रबंधन के लिए मददगार साबित हो सकती है।

तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाई गई इस तरह की एक अभिनव प्रथा 2015 में चेन्नई में बाढ़ के दौरान खो गए दस्तावेजों के डुप्लीकेट कागज जारी करने के लिए एकल–खिड़की प्रणाली की व्यवस्था करना था। एनडीएमए ने इस प्रथा का अध्ययन और प्रलेखन करने का फैसला किया ताकि इसे अन्य राज्यों में व्यापक रूप से प्रसारित/प्रचारित किया जा सके।

मैं डॉ. के. सत्यगोपाल, प्रधान सचिव तथा आयुक्त, राजस्व प्रशासन, तमिलनाडु सरकार को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इस अध्ययन को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं श्री अतुल्य मिश्र, प्रधान सचिव, उद्योग, तमिलनाडु सरकार का, तत्कालीन प्रधान सचिव/आयुक्त, राजस्व प्रशासन के रूप में 2015 बाढ़ के प्रबंधन में उनकी अंतर्दृष्टि के लिए, भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

डॉ. डी. कार्तिकेयन, आयुक्त, चेन्नई नगर निगम तथा श्री पी. पूनिया, भा.प्र.से., जिला कलेक्टर, कांचीपुरम ने बैठकों और क्षेत्र के दौरे को सुकर बनाया। सुश्री संगीता, प्रभारी–कलक्टर, चेन्नई ने एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें सभी हितधारक उपस्थित थे। मैं इन आयोजनों की अत्यन्त सराहना करता हूं जिसमें लाभार्थियों के साथ बातचीत की व्यवस्था भी शामिल है। इसके बिना, अध्ययन का काम पूरा नहीं हो सकता था।

मैं उन लाभार्थियों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी को हमारे साथ स्वयं आकर साझा करने के लिए धन्यवाद देता हूँ जिन्हें डुप्लीकेट दस्तावेज/प्रमाण–पत्र निःशुल्क जारी किए गए थे।

मैं इस दौरे के दौरान टीम को सुविधा/सहयोग प्रदान करने के लिए, तथा इस अध्ययन के संचालन में हर संभव सहायता और सहयोग प्रदान करने के लिए तमिलनाडु सरकार को हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं, एनडीएमए के सदस्यों को, इस अध्ययन दौरे के लिए उनके अटूट समर्थन के साथ–साथ आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) की दिशा में की गईं अन्य पहलों के लिए विशेष धन्यवाद देता हूं। मैं संस्थागत सहायता के लिए संगठन और उसके कर्मचारियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

अन्त में, श्री नवल प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (एसआरओ), एनडीएमए तथा श्री शंकर महतो, वरिष्ठ परामर्शदाता, नदी व बाढ़ कटाव विषय, एनडीएमए को अध्ययन के संचालन करने में तथा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में दिए गए उनके बहुमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

V. Thiru

डॉ. वी. तिरुपुगल,
संयुक्त सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए

तमिलनाडु सरकार द्वारा 2015 की बाढ़ के बाद में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाएँ

एनडीएमए द्वारा किए गए अध्ययन पर एक रिपोर्ट

1 पृष्ठभूमि

1.1 उत्तर पूर्व मानसून के कारण नवंबर–दिसंबर, 2015 के दौरान तमिलनाडु में असाधारण रूप से भारी वर्षा दर्ज की गई। यह अप्रत्याशित वर्षा चार अवधियों में हुई :

i. 8 से 10 नवम्बर, 2015 तक मुख्य रूप से कुड्डालोर जिले में, जिससे व्यापक नुकसान हुआ,

ii. 12 से 13 नवम्बर, 2015 तक, जिसने कांचीपुरम शहर को बुरी तरह से प्रभावित किया;

iii. 15 से 17 नवम्बर, 2015 तक के दौरान चेन्नई और आस–पास के जिलों कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में भारी वर्षा हुई;

iv. 30 नवम्बर से 07 दिसम्बर, 2015, जिसने फिर से चेन्नई तथा आस–पास के 2 जिलों पर इतनी अधिक तीव्रता के साथ आघात किया कि इसने गंभीर क्षति और विनाश करके महानगर के बड़े हिस्सों को नुकसान पहुंचाया, तथा महानगर के बड़े हिस्सों के लोगों को खासकर निचले इलाकों में, एक साथ लगातार कई दिनों तक अपनी छतों पर बारिश में असहाय रूप में रखकर भारी नुकसान पहुंचाया।

(स्रोत : तमिलनाडु सरकार द्वारा ज्ञापन)

1.2 जबकि तमिलनाडु के कई जिलों में वर्षा की पहले तीन अवधियों में बाढ़ आ गई, जिससे बुनियादी ढांचे और संपत्ति को नुकसान पहुंचा और लोगों को परेशानी हुई, 2 दिसम्बर, 2015 को बारिश के दौर में, चेन्नई महानगर के निकटवर्ती इलाकों और कांचीपुरम तथा तिरुवल्लुर के आस–पास के जिलों में बाढ़ आ गई। इस कम समय में हुई अप्रत्याशित वर्षा ने अचानक आई विनाशकारी बाढ़ की वजह से सिंचाई के बुनियादी ढांचे, सड़कों और जन–सुविधाओं के साथ–साथ मानव–जीवन और पशुधन को बड़ा नुकसान पहुंचाया।

2 तमिलनाडु की वर्षा स्वरूप (पैटर्न)

2.1 तमिलनाडु अपनी अधिकांश वर्षा पूर्वोत्तर मानसून से प्राप्त करता है। वर्षा वितरण का सामान्य पैटर्न निम्नानुसार है :

तालिका 1 – तमिलनाडु का वर्षा पैटर्न

मौसम	माह	सामान्य वर्षा (मिमी में)	वार्षिक वर्षा की प्रतिशतता
सर्दियों की वर्षा	जनवरी–फरवरी	31.3	3.40%
गर्मी की वर्षा	मार्च–मई	128.0	13.90%
दक्षिण–पश्चिम मानसून	जून–सितम्बर	321.2	34.88%
पूर्वोत्तर मानसून	अक्तूबर–दिसम्बर	440.4	47.82%
औसत वर्षा		920.9	100.00%

(स्रोत : तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी ज्ञापन)

2.2 तालिका 1 से यह स्पष्ट है कि राज्य में अक्तूबर से दिसंबर की अवधि के दौरान उत्तर–पूर्व मानसून से लगभग 40% वर्षा होती है।

3 2015 का वर्षा पैटर्न

3.1 आमतौर पर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र की प्रणालियों के गठन के बाद, इस मौसम में वर्षा कई अवधियों में होती है, जो तेज गति की हवाओं के साथ तीव्र अवसाद (डिप्रेशन) और चक्रवात को तेज कर सकती है। 2015 में, पूर्वोत्तर मानसून दिनांक 28.10.2015 को देर से शुरू हुआ और बंगाल की खाड़ी के ऊपर तीन समकालिक मौसम प्रणालियों के कारण तमिलनाडु में बाढ़ आई :

- 8 नवंबर और 10 नवंबर, 2015 के बीच बंगाल की खाड़ी पर छाया गहरा अवसाद;
- 12 नवंबर और 18 नवंबर, 2015 के बीच दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र; तथा
- 28 नवंबर और 4 दिसम्बर, 2015 के बीच दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर कम दबाव।

3.2 चेन्नई के महानगरीय शहर के साथ–साथ आस–पास के जिले कांचीपुरम और तिरुवल्लुर तथा तटीय जिले कुड्डालोर बुरी तरह प्रभावित हुए थे। नवंबर, 2015 के दौरान, चेन्नई में 101.8 सेमी वर्षा हुई, जो 1918 के बाद एक महीने में दर्ज की गई सबसे अधिक वर्षा है।

3.3 1.12.2015 से 5.12.2015 तक की अवधि के दौरान प्राप्त जिलेवार वर्षा तालिका 2 में नीचे दी गई है।

तालिका 2– पूर्वोत्तर मानसून, 2015 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित जिलों का वर्षा पैटर्न

क्रम संख्या	जिला	5 दिनों के लिए वास्तविक वर्षा (मिमी में)	5 दिनों के लिए सामान्य वर्षा (मिमी में)	अधिकतम/अतिरिक्त प्रतिशत
1	चेन्नई	399.0	40.6	+ 883 %
2	कांचीपुरम	467.2	34.5	+ 1254 %
3	तिरुवल्लुर	355.2	34.8	+ 863 %
4	कुड्डालोर	277.8	49.9	+ 451 %
5	नागापट्टिनम	263.1	73.9	+ 256 %
6	विलुप्पुरम	240.0	27.8	+ 764 %

(स्रोत : तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी ज्ञापन)

3.4 चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में क्रमशः 2.5, 3.8 और 3.2 गुणा सामान्य वर्षा हुई थी। कुड्डालोर जिले में 1.9 गुणा सामान्य वर्षा हुई, जबकि नागापट्टिनम और विलुप्पुरम में 2.5 गुणा सामान्य वर्षा हुई।

3.5 15 नवंबर 2015 को चेन्नई, तिरुवल्लुर तथा कांचीपुरम जिलों में क्रमशः 22 सेमी, 23 सेमी तथा 24 सेमी वर्षा हुई। दिसंबर, 2015 को इन जिलों में फिर से क्रमशः 27.6 सेमी, 25.8 सेमी तथा 33.6 सेमी के आकार की बहुत–ज्यादा वर्षा हुई। उसी दिन ताम्बरम में 494 मिमी., तिरुवल्लुर जिले के चेम्बरमबक्कम में 475.0 मिमी. तथा कांचीपुरम जिला के कट्टुकुप्पम में 429 मिमी. वर्षा हुई।

4 बाढ़ और उसके परिणाम

4.1 इस अभूतपूर्व स्तर की वर्षा का परिणाम तत्काल हुआ और विनाशकारी स्तर का था क्योंकि बड़ी जल निकाय वर्षा के जल से लबालब भर गए थे और अडयार, कूउम तथा कोसाथलाई जैसी बड़ी नदियों में यह पानी जा रहा था, जो बदले में चेन्नई शहर के घनी आबादी वाले क्षेत्रों में घुस गया, जिससे चेन्नई शहर में कई फीट की ऊँचाई तक पानी भर जाने से कई घर जल द्वीप बन गए। इस बाढ़ ने इन क्षेत्रों की शहरी आबादी की बड़ी संख्या को बड़ी कठिनाई में डाल दिया तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया। पानी इमारतों में प्रवेश कर गया, यहां तक कि कुछ क्षेत्रों/इलाकों में पहली मंजिलों में भी, जिससे निवासी भोजन, पानी तथा बिजली जैसी आवश्यक चीजों के बिना अपने भवनों की छत के ऊपर फंस के रह गए, इसके अलावा उनके सभी घरेलू फर्नीचर/उपकरणों/वस्तुओं और मोटर वाहनों का पूरी तरह से नुकसान हुआ, और आने वाले लंबे समय के लिए उनके घरों को निर्जन/वीरान बना दिया। लोगों को राज्य सरकार द्वारा स्थापित अस्थायी आश्रय–केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया।

4.2 चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम और कुड्डालोर जिलों में बाढ़ से प्रभावित लोगों के महत्वपूर्ण दस्तावेजों के नुकसान के मुद्दे पर, माननीय मुख्यमंत्री ने, 07.12.2015 की घोषणा में, दस्तावेजों (ड्राइविंग लाइसेंस, आर.सी. बुक, आदि) की प्रतियों तथा नकल को प्राप्त करने के लिए शुल्क के भुगतान में पूरी छूट देने के लिए आदेश दिया। अधिकारियों को इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए दो सप्ताह के लिए विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया (अनुबंध I)।

4.3 सभी सरकारी विभागों, विशेष रूप से ग्यारह बड़े प्रमुख विभागों–राजस्व, नागरिक आपूर्ति, जनगणना, बैंक, पंजीकरण, चेन्नई नगर निगम, तेल निगम, परिवहन, विद्यालय शिक्षा, जिला दिव्यांग जन कल्याण कार्यालय (डीडीएडब्ल्यूओ) तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) ने इस प्रक्रिया में भाग लिया। सभी आवेदनों को जमा करने और आसानी से उनको भरने के लिए सहायता हेतु एकल खिड़की शिविर आयोजित किए गए थे (सभी भाग लेने वाले/प्रतिभागी विभागों ने स्टॉल लगाए थे)।

5 एनडीएमए द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन

5.1 डॉ. वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव (नीति और योजना), एनडीएमए के नेतृत्व में एक टीम ने जून, 2017 में चेन्नई और कांचीपुरम जिले में प्रभावित आबादी के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा किए गए बाढ़ राहत उपायों का आकलन करने के लिए चेन्नई और कांचीपुरम का दौरा किया। टीम में निम्नलिखित अधिकारी–गण शामिल थे :

- डॉ. वी. तिरुपुगल, संयुक्त सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए
- श्री नवल प्रकाश, वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, एनडीएमए
- श्री शंकर महतो, वरिष्ठ परामर्शदाता (बाढ़ और नदी कटाव), एनडीएमए

6 दौरे के उद्देश्य

6.1 टीम द्वारा अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे :

- तमिलनाडु द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और बाढ़ प्रभावित लोगों को डुप्लीकेट रेकार्ड/प्रमाण–पत्र, आदि को जारी करने की प्रक्रिया में सीखे सबकों का अध्ययन करने के लिए।
- बाढ़ से सीखे सबक तथा बाढ़ की आपदा से निपटने की बेहतर तैयारी के लिए किए जा रहे परवर्ती उपायों का अध्ययन करने के लिए।
- अनुशंसाएं करने के लिए तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य राज्यों और हितधारकों में प्रसार करने के लिए।

7 दौरा किए गए स्थान

कांचीपुरम

7.1 टीम ने 21.06.2017 को कांचीपुरम कलक्ट्रेट का दौरा किया, जिसमें उन्होंने अधिकारियों और लाभार्थियों के साथ विचार–विमर्श किए। विचार–विमर्श में निम्न शामिल था :–

क) जिला प्रशासन द्वारा पीपीटी (पूर्वोत्तर मानसून 2015 में कांचीपुरम जिले में बाढ़ से नुकसान, 2015 की बाढ़ तथा उसकी आपदा से निपटने की तैयारी तथा वरदा चक्रवात 2016 पर एक मूल्यांकन : कांचीपुरम जिले में नुकसान, बचाव, राहत तथा पुनः बहाली)

ख) 2015 की बाढ़ तथा वरदा चक्रवात 2016 पर लघु वीडियो

ग) अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श (अनुबंध II में अधिकारियों की सूची संलग्न है)।

घ) लाभार्थियों के साथ बातचीत (अनुबंध VI के रूप में कुछ व्यक्ति के स्वयं पर गुजरे हुए अनुभव संलग्न हैं)।

7.2 टीम ने कई गाद–निकासी स्थलों का दौरा किया जहां भविष्य की बाढ़ आपदाओं का सामना करने की तैयारियों के हिस्से के रूप में नदियों में गाद (सिल्ट) निकासी की गतिविधियां चल रही थीं।

7.3 टीम ने तमिलनाडु के सबसे बड़े सिंचाई टैंक चेम्बरमबक्कम टैंक का भी राज्य में जल प्रबंधन में इसकी कार्यप्रणाली और भूमिका को समझने के लिए दौरा किया।

आयुक्त, राजस्व प्रशासन का कार्यालय (सीआरए कार्यालय), चेन्नई

7.4 टीम ने 22.06.2017 को सीआरए कार्यालय, चेन्नई का दौरा किया जहां इसने डॉ. के. सत्यगोपाल, प्रधान सचिव/आयुक्त, राजस्व प्रशासन तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की (अनुबंध III में अधिकारियों की सूची संलग्न है)।

7.5 टीम ने श्री अतुल्य मिश्र, प्रधान सचिव, उद्योग, तमिलनाडु सरकार से भी मुलाकात की। वर्ष 2015 की बाढ़ के दौरान श्री मिश्र राजस्व प्रशासन के प्रधान सचिव/आयुक्त थे।

बृहत्तर (ग्रेटर) चेन्नई निगम का दौरा

7.6 टीम ने बृहत्तर चेन्नई नगर निगम का दौरा किया जहां इसने अधिकारियों के साथ बातचीत की तथा उनका चेतावनी प्रसार नेटवर्क के अवलोकन के लिए उनके नियंत्रण कक्ष का भी दौरा किया। विचार–विमर्श में निम्न शामिल था :–

क) बृहत्तर चेन्नई नगर निगम द्वारा पीपीटी (2015 की बाढ़ : चेन्नई चुनौतियां, चेन्नई नगर निगम के विस्तृत क्षेत्रों के लिए समन्वित तूफान–जल की निकासी प्रणाली तथा वरदा 2016 : चेन्नई में चक्रवात आगमन)।

ख) 2015 की बाढ़ तथा 2016 वरदा चक्रवात पर लघु वीडियो

ग) अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श (अनुबंध IV में अधिकारियों की सूची संलग्न है)।

चेन्नई कलक्ट्रेट

7.7 टीम ने चेन्नई कलक्ट्रेट का दौरा किया जिसमें इसने अधिकारियों तथा लाभार्थियों के साथ बातचीत की। बातचीत में निम्नलिखित शामिल था–

क) जिला प्रशासन द्वारा तैयार पीपीटी (चेन्नई जिला पूर्वोत्तर मानसून 2015–प्रभावित लोगों जिन्होंने अपने **प्रमाण–पत्र/अन्य** दस्तावेज खो दिए थे, को **प्रमाण–पत्र/दस्तावेज** जारी करने पर प्रस्तुति)।

ख) 2015 बाढ़ तथा 2016 वरदा चक्रवात पर लघु वीडियो।

ग) अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श (अधिकारियों की सूची अनुबंध V में शामिल है)।

घ) लाभार्थियों के साथ बातचीत (लाभार्थियों के कुछ पहले–व्यक्ति के अनुभव अनुबंध VI के रूप में संलग्न हैं)।

8 दौरे की मुख्य बातें–प्रमुख अवलोकन

सर्वोत्तम प्रथा : डुप्लीकेट प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों को जारी करना

8.1 जब अधिकारियों ने इन अस्थायी आश्रय–स्थलों का दौरा किया, तो प्रभावित लोगों ने उन महत्वपूर्ण दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों जैसे कि पट्टा, शैक्षिक प्रमाण–पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पास बुक, आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि के बारे में चिंता व्यक्त की जो उन्होंने बाढ़ में खो दिए थे।

8.2 माननीय मुख्यमंत्री ने, 07.12.2015 की घोषणा में, अन्य चीजों के अलावा, चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम तथा कुड्डालोर जिलों में भारी बाढ़ के कारण जिन्होंने अपने दस्तावेज खो दिए थे, उनके द्वारा दस्तावेजों (ड्राइविंग लाइसेंस, आर.सी. बुक, आदि) की प्रतियां तथा नकल (डुप्लीकेट) प्राप्त करने के लिए शुल्क के भुगतान से पूरी छूट देने का आदेश दिया (अनुबंध I)।

खोए हुए दस्तावेजों/प्रमाण–पत्रों के लिए शिविर

8.3 सरकार ने अधिकारियों को 14.12.2015 से शुरू होने वाले दो सप्ताह के लिए विशेष शिविर को आयोजित करने का भी निर्देश दिया जिसमें विभिन्न राज्य सरकार के विभागों और केंद्र सरकार के संगठनों को भाग लेना था तथा प्रभावित जनता से आवेदन–पत्रों को प्राप्त करना था तथा बिना कोई शुल्क वसूले एक सप्ताह के भीतर उन्हें दस्तावेजों की आवश्यकता प्रतियां जारी की जानी थीं। यह आदेश केवल चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कुड्डालोर जिलों के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए लागू था और उपर्युक्त प्रतियों/डुप्लीकेट दस्तावेजों को जारी करने के लिए विशेष शिविरों के पूरा होने तक लागू रहना था। बाद में, डुप्लीकेट दस्तावेजों को निःशुल्क जारी किया जाना शुरू किया गया था (अनुबंध VII)।

8.4 डुप्लीकेट दस्तावेजों को जारी करने के लिए शिविरों की योजना 14 दिनों की अवधि यानी 14 से 28 दिसंबर, 2015 तक के लिए बनाई गई थी। इन शिविरों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलाया गया। इन शिविरों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रधान सचिव (प्रशासन) को निगरानी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया था तथा अन्य भा.प्र.से. अधिकारियों को नोडल अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया था। उन लोगों को प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया गया था जिन्होंने बाढ़ में उसे खो दिए थे। उभयनिष्ठ सेवा केंद्रों पर ऐसे दस्तावेजों के प्रतिस्थापन के लिए आवेदन–पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था भी की गई थी। विभिन्न दस्तावेजों के लिए आवेदन के प्रपत्र अनुबंध VIII से XIII तक में हैं।

8.5 प्रभावित लोगों को शिविरों में डुप्लीकेट दस्तावेज को जारी करने के लिए अपेक्षित प्रपत्रों में आवेदन करना होता था जो व्यापक रूप से उपलब्ध कराए गए थे। खोए हुए दस्तावेजों के लिए कोई प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी। आवेदन अनिवार्य रूप से मानकीकृत द्विभाषी आवेदन प्रपत्रों पर किए जाने थे, जो आवेदकों को मुफ्त में दिए गए थे। इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन–पत्रों को स्वीकार किया गया, संबंधित विभागों द्वारा पूरी तरह से सत्यापित किया गया और दो सप्ताह के भीतर डुप्लीकेट जारी किए गए। तैयार हो जाने पर, व्यक्तियों को उनके मोबाइल नंबरों पर डुप्लीकेट प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया था।

8.6 मौके पर ही निर्णय लेने के लिए नोडल अधिकारी द्वारा एक विकेन्द्रीकृत निर्णय लेने के दृष्टिकोण को अपनाया गया था।

8.7 सभी सरकारी विभागों, विशेष रूप से ग्यारह प्रमुख विभागों–राजस्व, नागरिक आपूर्ति, जनगणना, बैंक, रजिस्ट्रेशन, चेन्नई नगर निगम, तेल निगम, परिवहन, विद्यालय शिक्षा, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी (डीडीएडब्ल्यूओ) तथा तकनीकी शिक्षा विभाग के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई)–ने अभ्यास में भाग लिया।

8.8 लगभग दो सप्ताह पूर्व आम जनता को इन शिविरों के बारे में जानकारी/सूचना दी गई थी। इन शिविरों के विषय में उन्हें अवगत कराने के लिए संचार के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया गया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावित लोगों की अधिकतम संख्या इन शिविरों का लाभ उठावें, ऑटो रिक्शा पर लगे स्पीकर के माध्यम से भी घोषणा कराई गई थी।

8.9 इन शिविरों में से प्रत्येक में, आवेदकों के मार्गदर्शन के लिए दो स्वागत कक्ष (रिसेप्शन डेस्क) स्थापित किए गए थे। चेन्नई में, डुप्लीकेट **प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों** को जारी करने के लिए कुल 51,654 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे (विवरण तालिका 3 में हैं)। इन सभी आवेदन पत्रों की जांच की गई थी तथा आवेदकों को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे। सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आयोजित, ये शिविर एक बड़ी सफलता थे।

8.10 कांचीपुरम में, इन शिविरों में कुल 42,810 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जबकि अधिकांश आवेदन पत्रों (37,001) का सफलतापूर्वक निपटान किया गया था, कुछ प्रक्रियात्मक खामियों या सूचना के बेमेल होने के कारण 5809 आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए गए थे। ध्यातव्य है कि 5,809 अस्वीकृत आवेदन पत्रों में से, 4,112 परिवार कार्ड/राशन कार्ड से संबंधित थे (विवरण तालिका 4 में है)। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों के साथ उपलब्ध आंकड़ों के माध्यम से इन आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच ने इस तथ्य को सामने लाया कि जानकारी का बहुत अधिक दोहराव हुआ। कई आवेदकों के पास कई राशन कार्ड थे और उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी में सटीकता के मुद्दे थे। उचित मूल्य की दुकानों द्वारा दी गई सूचना (इनपुट) के आधार पर केवल वास्तविक आवेदकों को ही डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी किए गए थे।

8.11 कॉलेज के छात्रों ने भी अपने कॉलेज प्रमाण–पत्रों के बारे में चिंता व्यक्त की जो बाढ़ के पानी के कारण खो गए थे या कटे–फटे थे। हालांकि, इन शिविरों के दौरान कॉलेज प्रमाण–पत्र जारी नहीं किए गए थे क्योंकि इसमें विभिन्न विश्वविद्यालय शामिल थे।

8.12 ग्राम प्रशासनिक अधिकारियों (वीएओ) ने उन लोगों की मदद की जिन्हें सर्वे नंबर/पट्टा नंबर की जानकारी नहीं थी।

8.13 यदि आवेदक के मूल दस्तावेज किसी दूसरे तालुका में पंजीकृत थे, तब भी आवेदन–पत्रों को स्वीकार किया गया था। आवेदन–पत्रों को संबंधित प्राधिकरण को प्रेषित किया गया जहां मूल दस्तावेज पंजीकृत थे, डुप्लीकेट दस्तावेजों को प्राप्त किया गया था और संबंधित व्यक्तियों को सौंप दिया गया था।

9 तमिलनाडु द्वारा अपनाई गई प्रथाओं से सीखे गए सबक

9.1 असुरक्षित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों/समुदायों को उनके प्रमाण–पत्रों/दस्तावेजों के महत्व और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर संभाल कर रखने की आवश्यकता के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

9.2 लोगों को अपने सरकारी दस्तावेजों को आधार से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

9.3 आवेदकों से अपेक्षित जानकारी एकत्र करने के लिए मानक प्रारूप (फॉर्मेट) विकसित करना। विभिन्न दस्तावेजों की डुप्लीकेट प्रतियों को जारी करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रयुक्त फॉर्मेट आपके संदर्भ के लिए अनुबंध में संलग्न हैं।

9.4 आवेदन–पत्र भरने में आसानी के लिए कई स्थानों पर उभयनिष्ठ सेवा केंद्र स्थापित करें

9.5 संबंधित तहसीलदार द्वारा नुकसान के बारे में जारी किए जाने वाले एक प्रमाण–पत्र के आधार पर दस्तावेज जारी किए जाएंगे, नुकसान की रिपोर्ट करने के लिए प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

9.6 दस्तावेजों को निःशुल्क या मामूली मूल्य, जैसा उचित लगे, पर जारी किया जाना चाहिए।

तालिका 3 : चेन्नई में विशेष शिविरों में आवेदन–पत्रों का विवरण

क्रम संख्या	विभाग का नाम	प्राप्त आवेदन	निपटाए गए आवेदन–पत्र	निपटान का प्रतिशत	जारी किए गए प्रमाण पत्र/दस्तावेज/सहायता सामग्री	दस्तावेजों जिन पर विश्वास किया गया
1.	राजस्व	1,785	1,785	100	क) कानूनी उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र ख) पट्टा ग) समुदाय प्रमाण–पत्र घ) आय प्रमाण–पत्र	क) तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र ख) फील्ड में पूछताछ के द्वारा
2.	नागरिक आपूर्ति	3,295	3,295	100	क) राशन कार्ड	ख) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र में अनुरक्षित 'ए' रजिस्टर का सत्यापन
3.	जनगणना	3,383	3,383	100	क) आधार यूआईडी	क) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र ख) शिविर में प्राप्त बायो–मैट्रिक विवरणों को बैक–अप डेटा के साथ क्रॉस–चैक किया गया था।
4	बैंक	2,423	2,423	100	क) खाता पास बुक ख) पास बुक में प्रविष्टियां ग) एटीएम कार्ड	क) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र ख) शिविरां में ली गई तस्वीरों और केवाईसी विवरणों को संबंधित बैंक शाखाओं के साथ सत्यापित किया गया।

5.	पंजीकरण	2,439	2,439	100	क) बिक्रीनामा दस्तावेज ख) उपहार विलेख (गिफ्ट डीड) ग) विभाजन विलेख घ) मूल दस्तावेज	क) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र ख) संबंधित उप–रजिस्ट्रार कार्यालयों में बैकअप डेटा से जुड़े/संबंधित पक्षों के नाम और गांव की सर्वेक्षण संख्या के आधार पर दस्तावेजों की खोज
6.	चेन्नई निगम	13,407	13,407	100	क) लागू नहीं (एन/ए)	क) लागू नहीं (एन/ए)
7.	तेल निगम	1,639	1,639	100	क) गैस कनेक्शन बुक ख) मूल लागत के 50% के भुगतान पर खो गए सिलेंडर के बदले में रिफिल सिलेंडर देना।	क) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र ख) संबंधित गैस–एजेंसियों द्वारा रजिस्टरों/डेटा का सत्यापन
8.	परिवहन	12,039	12,039	100	क) वाहन का पंजीकरण प्रमाण–पत्र ख) ड्राइविंग लाइसेंस ग) वाहन का परमिट	क) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र ख) संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा अनुरक्षित रजिस्टरों/डेटा का सत्यापन ग) आवेदकों द्वारा वाहनों के सही तरह से चलने की जांच करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए।

9.	विद्यालय शिक्षा	10,971	10,971	100	क) स्थानांतरण प्रमाण–पत्र ख) आचरण प्रमाण–पत्र ग) अंक पत्र	क) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र ख) संबंधित विद्यालयों और निदेशालयों द्वारा अनुरक्षित रजिस्टरों/डेटा का सत्यापन
10.	डीडीएडब्ल्यूओ	174	174	100	क) दिव्यांग हेतु तिपहिया साइकिल ख) व्हीलचेयर ग) बैसाखी घ) राष्ट्रीय पहचान पत्र	क) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र ख) डॉक्टरों द्वारा आवेदकों की विकलांगता स्थिति का आकलन करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए थे।
11.	तकनीकी शिक्षा (आईटीआई)	99	99	100	क) राष्ट्रीय व्यापार प्रमाण–पत्र (एनटीसी)	क) संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी बाढ़–पीड़ित प्रमाण–पत्र ख) निदेशालय द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों का सत्यापन

तालिका 4 : कांचीपुरम में विशेष शिविरों में आवेदनों का विवरण

याचिका विवरण	बैंक पास बुक	परिवार कार्ड	आधार कार्ड	पट्टा की प्रति	पंजीकृत दस्तावेज की प्रति	ऐपिक (निर्वाचक फोटो पहचान पत्र)	गैस कनेक्शन बुक	ड्राइविंग लाइसेंस	विद्यालय प्रमाण–पत्र	जन्म और मृत्यु प्रमाण–पत्र की प्रति	विकासात्मक दिव्यांगता क्षेत्रीय कार्यालय (डीडीआरओ)	आईटीआई	रोजगार	कुल
प्राप्ति	432	12608	1887	2878	2668	11211	231	4928	4096	1867	1	2	1	42810
स्वीकृत व प्रति जारी की गई	412	8496	1061	2812	2278	11203	200	4627	4086	1822	1	2	1	37001
अस्वीकृत*	20	4112	826	66	390	8	31	301	10	45	0	0	0	5809

**कुछ प्रक्रियात्मक खामियों या सूचना–बेमेल रहने के कारण आवेदन–पत्रों की अस्वीकृति के मामले।*

10 सीखे गए प्रमुख सबकों का अनुप्रयोग

10.1 प्रत्येक आपदा इससे सीखने का अवसर प्रस्तुत करती है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में आपदा से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए दिसंबर, 2015 के कहर के बाद उसको मिले अवसर का उपयोग किया। एक वर्ष बाद, दिसंबर, 2016 में, शहर एक और विकट मौसम वाली घटना के साथ जूझ रहा था। उष्णकटिबंधीय चक्रवात वरदा। इस बार सरकार ने पहले से ही अच्छी तरह से बारिश, बाढ़, बादल फटने, सूखे या चक्रवाती तूफान की घटना से निपटने के लिए तैयारी के उपाय किए थे। तदनुसार, तमिलनाडु एसडीएमए ने अपने पत्र संख्या एनसी1(4)/5779/2016, दिनांकित 04.10.2016 द्वारा साप्ताहिक रूप से विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन और प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए एक समग्र जांच–सूची/चेकलिस्ट और प्रारूपों के साथ सभी जिला कलक्टरों और बृहत्तर चेन्नई नगर निगम को समेकित निर्देशों के साथ उत्तर पूर्व मानसून 2016 हेतु अनुपालन के लिए एक आदेश जारी किया (अनुबंध XIV)। इससे जानमाल का बहुत कम नुकसान हुआ, क्योंकि बचाव और निकासी अभियान को प्रभावी ढंग से आयोजित किया गया था। बड़े पैमाने पर बहाली के प्रयास शुरू किए गए थे और बहुत कम समय के भीतर बुनियादी ढांचे को सामान्य स्थिति में वापस लाया गया।

10.2 2016 के दौरान वरदा चक्रवात और उत्तर पूर्व मानसून के प्रभाव को कम करने के लिए की गई तैयारियों की प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

- पानी की टंकियों से जुड़े चैनलों की सफाई हेतु मानसून के मौसम से पहले विशेष अभियान चलाए जाते हैं।
- सरकारी और निजी क्षेत्र के प्रयासों के बीच रहीं कमियों को दूर कर दिया गया। निजी कंपनियां आपदा के बाद, वाहनों की मरम्मत, ऋण चुकौती कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण तथा कार्मिक प्रबंधन के लिए आगे आईं।
- उनकी आकस्मिक योजनाओं पर चर्चा करने के लिए, राज्य सरकार ने सभी हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई थी जिसने मोचन बलों की पूर्व–नियोजित तैनाती को सुनिश्चित किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें तथा सेना, नौसेना और तटरक्षक बल से दस्तों (कॉलम) को तैयार कर जुटाई गईं तथा असुरक्षित क्षेत्रों में पूर्व–तैनाती की गई।
- इसी तरह की बैठकें जिला और राज्य स्तर पर अस्पतालों, शैक्षिक और औद्यागिक संगठनों, संचार सेवा प्रदाताओं और तेल कंपनियों आदि को जागरूक बनाने के लिए तथा उन्हें आपदाओं के दौरान तत्काल मोचन के लिए संस्थागत रणनीतियों से लैस करने के लिए जागरूक बनाने के लिए जीवन रक्षक सेवाओं, विशेषकर अस्पतालों में, की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, सहायक–व्यवस्था करने के लिए भी उनहें जागरूक किया गया।
- एक समन्वित दृष्टिकोण ने समय पर सुरक्षित निकासी और न्यूनतम हताहतों की संख्या को सुनिश्चित किया।
- बाढ़/चक्रवाती तूफानों के दौरान बिजली की आपूर्ति बंद कर दी गई थी।
- डीजल जनरेटर (डीजी) को उन्नत तल/ऊपरी मंजिलों में स्थानान्तरित कर दिया गया था। 2015 के बाढ़ के दौरान मोबाइल सेवा संचालकों/ऑपरेटरों के डीजी सेट क्षतिग्रस्त हो गए थे, क्योंकि उन्हें तहखानों में स्थापित किया गया था।
- सुरक्षित स्थानों पर उचित भंडारण सुविधाओं के साथ बिजली/तेल/दूरसंचार कंपनियों के साथ पर्याप्त डीजल/तेल स्टॉक। जबकि 2015 के दौरान केवल बीएसएनएल के पास पर्याप्त स्टॉक था, इनमें से प्रत्येक सेवा प्रदाता के पास 2016 पूर्वोत्तर मानसून के दौरान पर्याप्त भंडार था।

- 2016 के पूर्वोत्तर मानसून के दौरान कम से कम 5,000 पुलियाओं की पहले ही सफाई का काम किया गया था। इसी तरह, पुलों और पुलिया के मुहानों (आउटलेट्स) को भी साफ किया गया था–500 मीटर नदी की ऊपर–मुखी (अपस्ट्रीम) दिशा और एक समान दूरी पर अधोमुखी (डाउनस्ट्रीम) दिशा में।
- क्या करें तथा क्या नहीं करें पर स्थानीय समुदायों के बीच जागरूकता तथा निकास मार्गों और राहत आश्रय–स्थलों का ज्ञान।
- उत्तर–पूर्व मानसून 2016 के दौरान आपदा से निपटने की तैयारी के उपायों की निगरानी करने के लिए तथा अन्तर–विभागीय समन्वय के लिए प्रत्येक जिला/क्षेत्र (जोन) के लिए मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों को पदनामित किया गया था।
- शिक्षा विभाग ने यथाशीघ्र राहत शिविरों में ही स्कूली बच्चों के लिए पुस्तकों/यूनिफॉर्म/अन्य शिक्षण सामग्री को वितरित किया, जैसा कि 2015 में किया गया था। इसके फलस्वरूप शिक्षण परिणाम स्तरीय बना रहा था।
- बाढ़ के बाद जब विद्यालय पुनः खुला, तब जल से भरे टैंकों की सफाई की गई थी और उनमें ताजा पानी भरा गया था।
- सरकारी अस्पताल के भवनों में सबसे पहले विद्युत आपूर्ति बहाल की गई थी। बाद में, एक–एक करके अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के लिए बिजली की बहाली की गई थी।
- बाढ़ की स्थितियों के दौरान पशुओं/मवेशियों को खुला छोड़ दिया गया था।
- उत्तर–पूर्व मानसून मौसम के पहले पानी की टंकियों का क्लोरीनीकरण किया गया था।
- प्रत्येक असुरक्षित में 10 ऐसे मोचकों की टीम के साथ तैराकी और चढ़ाई के कौशल वाले स्वयंसेवकों को पहले मोचक के रूप मे नामांकित किया गया था। कुल 1499 की प्रथम मोचक टीम का गठन किया गया था। सांप पकड़ने वालों (सपेरों) की मोबाइल टीमें भी बनाई गई थीं।
- 22899 टैंकों और 11,446 किमी. जल निकायों से गाद निकालने के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यास किए गए थे। इसके अतिरिक्त, कम से कम 15,870 पुलों के दोनों ओर रुकावटों को दूर करने के लिए 500 अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दिशा में 1.4 लाख से अधिक पुलिया भी बनाई गई थीं और बाधा वाले अतिक्रमण हटाए गए थे।
- कुल 6,960 रिचार्ज गड्ढे बनाए गए थे और 8,657 पुराने बोर–कुओं को भी रिचार्ज–गड्ढों के रूप में परिवर्तित किया गया था।
- आवश्यक कार्यों को करने के लिए बचाव दलों की तेजी से आवाजाही की सुविधा के लिए असुरक्षित क्षेत्रों में हरित गलियारों (ग्रीन कोरिडोर) का निर्माण।

11 आपदा से निपटने की बेहतर तैयारी के लिए किए गए अन्य उपाय

11.1 तत्काल राहत के उपायों के अलावा, तमिलनाडु की सरकार ने भविष्य में इसी तरह की आपदा की स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कई दीर्घकालिक उपायों को भी शुरू किया था। इन पहलों से इस तरह की तबाही के मूल कारणों के निवारण किया जाता है और देश भर के प्रमुख शहरों के लिए इनको आसानी से संदर्भित किया जा सकता है।

- 2015 की बाढ़ से सबक लेते हुए, मास्टर प्लान 2030, तैयारी के अंतर्गत है। यह एक दीर्घकालिक योजना के माध्यम से ऐसे परिमाण की आपदाओं का प्रबंधन करने के लिए एक संस्थागत रूपरेखा बनाएगा।
- दीर्घकालिक संरक्षण और मोचन योजनाओं को तैयार किया जा रहा है।
- टैंकों/जलाशयों की नियमन–प्रक्रिया को तैयार किया जा रहा है।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का वर्गीकरण और उसके बाद की मैपिंग, बाढ़ के आधार पर बाढ़ के लिए उनकी संवेदनशीलता तय करने के लिए : 5 फीट और अधिक जल–उच्च असुरक्षितता; 2–3 फीट जल–सामान्य असुरक्षितता, 2 फीट से कम जल–कम असुरक्षितता।
- आकाश से की जाने वाली फोटोग्राफी के लिए मानव रहित वाहन (ड्रोन) तैनात करने की योजना है।
- जलकुंभनियों के कारण रुकावटों को दूर करने के लिए एसडीआरएफ को 100 टन क्षमता की क्रेनों से लैस करने का प्रस्ताव।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी नदियों की यूएवी फोटोग्रामेट्री
- समुद्र के किनारे स्टोर्म सर्ज मॉडलिंग।
- टैंकों की डिजाइन की गई डिस्चार्ज क्षमता का अध्ययन करें क्योंकि इसमें कमी रहने से टैंकों में दरार पड़ सकती है।
- सार्वजनिक किए जाने वाले जल संसाधनों पर जानकारी का एक संग्रह।
- निर्दिष्ट क्षेत्रों के पूर्व–निरीक्षण और निगरानी के लिए टीम लीडरों के साथ अंतर–विभागीय टीमों का गठन।
- संवेदनशीलता मानचित्रों पर निकटतम राहत आश्रय–स्थल के लिए निकास–मार्गों की पहचान करें।
- अस्पतालों को अपनी आपातकालीन योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया था।

12 तमिलनाडु की बाढ़ के अनुभव पर आधारित प्रस्तावित उपाय

- जानकारी/सूचना प्राप्त करने के लिए केवल फील्ड अधिकारियों पर निर्भर न रहें।
- मानसून के दौरान असुरक्षित/निचले क्षेत्रों के पास रणनीतिक रूप से नौकाओं की तैनाती की आवश्यकता है। क्षेत्र की असुरक्षितता के अनुरूप लॉरियों और जेसीबी, आदि की पूर्व–तैनाती किया जाना अत्यावश्यक है।
- आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए हर स्तर पर *आपदा मित्र* को तैनात करने की जरूरत है।
- प्रथम मोचकों के रूप में नौजवानों/यंगस्टर्स को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। स्थानीय स्तर पर इन पहले मोचकों और आधिकारिक मोचक टीमों के बीच समन्वय को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- अतिरिक्त आपातकालीन प्रचालन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि राहत और बचाव कार्य में बाधा न आए, एक निर्धारित अवधि के भीतर (जैसे ऐसी किसी घटना के 15–30 दिनों के भीतर) जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।
- सभी अभिलेखों (रेकॉर्ड) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में, ये रेकॉर्ड राजस्व और आईटी विभाग दोनों के पास उपलब्ध हैं।
- आपदा से निपटने की तैयारियों के उपाय तथा/या प्रशमन उपाय के रूप में समग्र संरचनात्मक सुधार।
- आपदा के दौरान संचार नेटवर्क के टूटने/भंग होने के बावजूद निर्बाध संचार के लिए कई चैनल एचएएम (हैम) रेडियो की उपलब्धता। अधिकारियों/फ्रंट–लाइन मोचकों/सामुदायिक मोचकों को एचएएम रेडियो का उपयोग करने के तरीके के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रलेखन।
- आपदा प्रबंधन योजनाओं को संशोधित करने की आवश्यकता।
- नदी किनारे अतिक्रमण को हटाना, प्रत्येक मानसून चक्र से पहले समय पर निरीक्षण।
- पावर बैकअप के लिए सभी तालुका कार्यालयों में जनरेटर की आवश्यकता होती है। पानी की आपूर्ति भी बिजली की कमी के कारण बाधित हो जाती है।
- सामुदायिक तालाबों के द्वारा बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए तथा मवेशियों हेतु उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष मवेशी तालाबों की आवश्यकता।
- नागरिक आपूर्ति निगम को पर्याप्त स्टॉक बनाए रखना चाहिए और जब भी आवश्यकता हो, उन्हें तेजी से स्थानांतरित करने में सक्षम होना चाहिए।
- केवल एक नामित कार्यालय/अधिकारी/प्रवक्ता को मीडिया को जानकारी देनी चाहिए।
- किसी भी शहर/नगर में शहरी बाढ़ प्रशमन की योजना बनाते समय मृदा विश्लेषण और भूमि उपयोग पैटर्न को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- एक मानक परिवार किट के बारे में एक नीति बनाई जानी चाहिए जो आपदा की स्थिति में पीड़ित परिवारों तक पहुंचाई जाएगी।
- आपदाओं के बारे में सार्वजनिक जागरूकता आपदा जोखिम में कमी के लिए समुदाय आधारित भागीदारी के दृष्टिकोण के साथ बनाई जानी चाहिए।
- मौसम विभाग से मिली जानकारी को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
- विभिन्न दस्तावेजों की डुप्लीकेट प्रतियां जारी करने के लिए प्रस्तावित फॉर्मेट (अनुबंध XV से XVIII तक)

13 तमिलनाडु सरकार के लिए विशिष्ट अनुशंसाएं

- चेन्नई शहर के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए। इस समिति को क्षेत्र के लिए जारी किए गए हाइड्रोलॉजिकल और मौसम संबंधी पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए उचित रूप से विनियमित करने और अपस्ट्रीम झीलों/टैंकों से पानी छोड़ने के लिए मौके पर ही (ऑन–साइट) निर्णय लेने के लिए पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिए। भारी वर्षा के दौरान, इस समिति को बाढ़ के पूर्वानुमानों की समीक्षा के आधार पर झीलों/टैंकों/जल निकायों से पानी छोड़ने पर अंतिम आदेश का अधिकार होना चाहिए।

- चेन्नई शहर को वर्षा की प्रभावी निगरानी और चेतावनी जारी करने के लिए, स्वचालित मौसम केंद्रों (एडब्ल्यूएस) का अपना नेटवर्क, यानी हर चार वर्ग किलोमीटर के लिए एक स्टेशन, तैयार करना चाहिए। इसका उपयोग उपग्रह मानचित्र एनिमेशन, आईएमडी चेतावनियों और बाढ़ पूर्वानुमान सॉफ्टवेयर के साथ किया जाना चाहिए। इसे विभिन्न कारकों के कारण अचानक आई आंधी युक्त बाढ़ (20 मिमी./घंटे से 120 मिमी./घंटे), तेजी से चलती/बदलती मौसम की गड़बड़ी, भारी बारिश आदि की आपदा/समस्या के हल के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

- सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रलेखन और उसको सार्वजनिक क्षेत्र में आम लोगों के साथ साझा करना ताकि अन्य राज्य चेन्नई के अनुभव के आधार पर उनसे सीख लें और बाढ़ जोखिमों का प्रशमन कर सकें। यह अन्य देशों, विशेष रूप से एशिया के विकासशील देशों, को बाढ़ पश्चात् पुनर्वास प्रयासों की योजना बनाने में भी मदद कर सकता है।

சுருக்கம்

பேரிடர் மேலாண்மை – 2015ஆம் வருட வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தின் காரணமாக நிலம் மற்றும் வீட்டு மனைப் பட்டா, கல்வி சான்றிதழ் மற்றும் பிற சான்றிதழ்களை இழந்த பொதுமக்களுக்கு அவற்றை வழங்கும் பொருட்டு சிறப்பு முகாம் நடத்துதல் – ஆணை வெளியிடப்படுகிறது.

வருவாய் [பே.மே.2] துறை

அரசு ஆணை (நிலை) எண்.423 நாள்:07.12.2015

மன்மத, கார்த்திகை 21,
திருவள்ளுவராண்டு 2046

படிக்கவும்:

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிக்கை, நாள் 07.12.2015

*****

ஆணை:

மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள், 2015ஆம் வருட வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தின் காரணமாக நிலம் மற்றும் வீட்டு மனைப் பட்டா, கல்வி சான்றிதழ் மற்றும் இதுபோன்ற பிற சான்றிதழ்களை இழந்த பொதுமக்களுக்கு அவற்றை வழங்கும் பொருட்டு ஆணை பிறப்பித்துள்ளார்கள்.

2. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிக்கையில் ஆணையிட்டுள்ளவாறு ஆவணங்களை இழந்துள்ள பொதுமக்களுக்கு மீண்டும் அவற்றை வழங்கும் பொருட்டு பின்வருமாறு ஆணையிடப்படுகிறது:–

(அ) வெள்ளத்தின் காரணமாக பொதுமக்கள் இழந்துள்ள நிலம் மற்றும் வீட்டு மனைப் பட்டா, கல்வி சான்றிதழ், எரி வாயு இணைப்பு அட்டை, ஆதார் அடையாள அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வங்கி கணக்குப் புத்தகம், நிலம்/ வீட்டு கிரையப் பத்திரம் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை அவர்களுக்கு வழங்கும் பொருட்டு சிறப்பு முகாம்கள் பாதிப்படைந்த பகுதிகளான சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் கடலூர் மாவட்டங்களுக்குட்பட்ட வருவாய் வட்டங்களிலும், கல்வி சான்றிதழ்களுக்கு, பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளிலும் வருகின்ற 14.12.2015 முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு நடத்தப்படும். இம்முகாம்களில், தமிழ்நாடு அரசின் பல்வேறு துறை அதிகாரிகளும், மத்திய அரசின் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை பெற்று ஒரு வாரத்திற்குள்ளாக நகல் ஆவணங்களை கட்டணமின்றி வழங்குவர். சிறப்பு முகாம்களில் மட்டுமின்றி, பொதுமக்கள் விண்ணப்பங்களை பொது சேவை மையங்கள் மூலமாகவும் கொடுத்து நகல் ஆவணங்களைப் பெறலாம்.

/த.பி.பா/

(ஆ) ஓட்டுநர் உரிமச் சான்று, வாகன பதிவுச் சான்று (R.C Book) ஆகியவற்றை இழந்த ஆட்டோ ஓட்டுநர்கள் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் மேற்காணும் நடைமுறைப்படி ஆவணங்கள் வழங்கப்படும்.

(ஆளுநரின் ஆணைப்படி)

கு. ஞானதேசிகன்,
தலைமைச் செயலாளர்.

பெறுநர்
முதன்மைச் செயலாளர்/வருவாய் நிருவாக ஆணையர்,
எழிலகம், சேப்பாக்கம், சென்னை–600 005
கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர்,
போக்குவரத்து துறை, தலைமைச் செயலகம், சென்னை– 600 009.
முதன்மைச் செயலாளர்,
பள்ளிக் கல்வித் துறை, தலைமைச் செயலகம், சென்னை–600 009.
முதன்மைச் செயலாளர் (பொறுப்பு),
வணிகவரி மற்றும் பதிவு துறை, தலைமைச் செயலகம், சென்னை–600 009.
முதன்மைச் செயலாளர் (பொறுப்பு),
பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும்
சிறுபான்மையினர் நலத் துறை,
தலைமைச் செயலகம், சென்னை–600 009.
செயலாளர்,
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத் துறை,
தலைமைச் செயலகம், சென்னை–600 009.
செயலாளர்,
உயர்கல்வித் துறை, தலைமைச் செயலகம், சென்னை–600 009.
மாவட்ட ஆட்சியர்கள்,
சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர் மற்றும் கடலூர் மாவட்டம்.

நகல்
வருவாய்த்துறை அமைச்சரின் சிறப்பு
நேர்முக உதவியாளர், தலைமைச்செயலகம், சென்னை– 600 009.
தலைமைச் செயலாளர் அவர்களின் முதுநிலை தனிச் செயலர்
தலைமைச் செயலகம், சென்னை – 600 009.
அரசு செயலாளர், வருவாய்த்துறை அவர்களின் முதுநிலை
தனிச்செயலாளர், சென்னை– 600 009.
முதலமைச்சர் அலுவலகம், சென்னை–600 009.
இ.கோ/உதிரி

//ஆணைப்படி அனுப்பப்படுகிறது//

7/12/15

பிரிவு அலுவலர்.

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர், காஞ்சிபுரம் அவர்களின் செயல்முறைகள்.

முன்னிலை : திருமதி இரா.கஜலட்சுமி, இ.ஆ.ப.

நக. 12663/2015 பே.மே நாள் -12-2015.

பொருள்.	பேரிடர் மேலாண்மை - 2015-ம் ஆண்டு வருட வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் ஏற்பட்ட வெள்ளத்தின் காரணமாக நிலம் மற்றும் வீட்டுமனை பட்டா, கல்வி சான்றிதழ் மற்றும் பிறச் சான்றிதழ்களை இழந்த பொதுமக்களுக்கு அவற்றை வழங்கும் பொருட்டு சிறப்பு முகாம் நடத்துதல் தொடர்பாக
பார்வை	1.அரசு ஆணை (நிலை) எண்.423 வருவாய் (பே.மே.2) துறை நாள்.07.12.2015. 2.மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அவர்களின் கூட்ட நடவடிக்கைகள் நக. 12663/2015 பே.மே. நாள் 11.12.2015. 3.சம்மந்தப்பட்ட ஆவணங்கள்.

பார்வை 1ல் கண்ட அரசாணையின்படி 2015-ம் வருட வடகிழக்கு பருவமழையின் காரணமாக ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் காரணமாக பொதுமக்கள் இழந்த அவர்களுடைய வீட்டு மனை பட்டா, கல்வி சான்றிதழ், எரிவாயு இணைப்பு அட்டை, ஆதார் அடையாள அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம், ஓட்டுனர் உரிமம் உள்ளிட்ட ஆவணங்களின் நகல்கள் வழங்குவதற்காக வருவாய் வட்டங்களில் சிறப்பு முகாம்கள் அமைப்பது தொடர்பான ஆய்வுக் கூட்டம் 11.12.2015 அன்று மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது.

2. சிறப்பு முகாம்கள் 14.12.2015 அன்று முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு நடத்தப்படவுள்ளதால் ஒவ்வொரு வட்டங்களிலும் அட்டவணைப்படி சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படவேண்டும் எனவும் இது குறித்து சம்மந்தப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகங்களிலும், வட்ட அளவில் சம்மந்தப்பட்ட கிராம பஞ்சாயத்து அலுவலகங்களிலும் உரிய விளம்பரப்படுத்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்பட்டது. இது தொடர்பான கூட்ட நடவடிக்கைகள் பார்வை 2ல் கண்ட கடிதத்தில் அனைத்து சார்நிலை அலுவலர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டது.

3. மேற்படி முகாமில் துறை வாரியாக பங்கேற்கும் அலுவலர்களின் பட்டியல் பெறப்பட்டு வட்ட வாரியாக இணைப்பில் கண்டவாறு நியமனம் செய்து உத்திரவிடப்படுகிறது.

4. சிறப்பு முகாமில் பொதுமக்கள் அவர்களுடைய வீட்டு மனை பட்டா, கல்வி சான்றிதழ், எரிவாயு இணைப்பு அட்டை, ஆதார் அடையாள அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம், ஓட்டுனர் உரிமம் உள்ளிட்ட ஆவணங்களின் நகல்கள் கோரி வரப்பெறும் விண்ணப்பங்கள் பெற்று அரசு ஆணைப்படி ஒரு வாரத்திற்குள்ளாக நகல் ஆவணங்களை கட்டணமின்றி வழங்கப்பட வேண்டும். சிறப்பு முகாம்களில் மட்டுமின்றி, பொதுமக்கள் விண்ணப்பங்களை பொது சேவை மையங்கள் மூலமாகவும் கொடுத்து நகல் ஆவணங்களைப் பெறலாம் எனவும் உத்திரவிடப்படுகிறது.

5. எனவே,, சிறப்பு முகாமில் பெறப்பட்ட மனுக்களின் விவரங்களை 14.12.2015 முதல் அன்றைய தினம் மாலை 6.00 மணியளவில் முன்னேற்ற அறிக்கையினை மாவட்டாட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) என்பவருக்கு துறை வாரியாக அனுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

6. முகாமின் போது போதிய காவல்துறை பாதுகாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்யவும் வட்டாட்சியருக்கு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர்,
காஞ்சிபுரம்.

பெறுநர்.

சம்மந்தப்பட்ட அலுவலர்கள்.

நகல். காவல்துறை கண்காணிப்பாளர், காஞ்சிபுரம்.

காவல்துறை துணை ஆணையர், பரங்கிமலை.

अनुबंध II

21.06.2017 को कांचीपुरम के शिविर में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पदनाम
1.	पी. पोन्निआह, भा.प्र.से., जिला कलक्टर
2.	के. सौरिराजन, जिला राजस्व अधिकारी
3.	सी. मनोहरण, जिला अग्निशमन अधिकारी, कांचीपुरम
4.	के. वसुबाबू, संयुक्त निदेशक, कृषि, कांचीपुरम
5.	पी. सुमति, तहसीलदार, वलाजाबाद
6.	ए.ए. मुथु, आरटीओ, कांचीपुरम
7.	के. राजाम्मल, तहसीलदार, उदिरामेरुर
8.	जी. कर्पागम, तहसीलदार, मदुरान्तगम
9.	पी. कुरी, तहसीलदार, कांचीपुरम
10.	टी. पूर्णचन्द्रन, ईई/उत्तर टंगेडको, कांचीपुरम
11.	सी. स्वराज, ईई/एस/केपीएम, टंगेडको, कांचीपुरम
12.	के. सेल्वम, ईई/सामान्य टंगेडको/चेंगलपेट
13.	के. कन्नन, सहायक, डीईओ, चेंगलपेट
14.	के. गणपति, डीईओ, चेंगलपेट
15.	एन. श्री रंगनाथन, जेए, सीईओ कार्यालय, कांचीपुरम
16.	वी. आर. गिरिजा, अधीक्षक, डीईओ, कांचीपुरम
17.	ए. उलगनाथन, डिवीजनल लेखपाल, डीई राजमार्ग, चेंगलपेट
18.	एस. थनिगैवेल, वरिष्ठ प्रारूपण अधिकारी
19.	टी. धनशेखरन, तहसीलदार, अलंदुर
20.	एन. मनोगरन, तहसीलदार, तिरुकलुकुंदरम

21.	डब्ल्यू. भरनीकुमार, जिला चिकित्सा अधिकारी, डीडीएचएस, कांचीपुरम
22.	एम. ईलुमलाई, तहसीलदार, श्रीपेरुम्बुदुर
23.	वी.एम. सीता, विशेष तहसीलदार (चुनाव), कांचीपुरम
24.	जी. अन्ने सेल्वा सोनिया, मत्स्य पालन निरीक्षक
25.	वी. तमिसेल्वी, डीएडीडब्ल्यूओ, कांचीपुरम
26.	के. बालाजी, उप तहसीलदार, चेंगलपेट
27.	एस. धनलक्ष्मी, तहसीलदार, उप चुनाव कक्ष अधिकारी, कांचीपुरम/तिरुवल्लुर
28.	आर.एम. इब्राहिम, तहसीलदार, चेंगलपेट
29.	वी. मोहन, प्रधान लिपिक, एडी नगर पंचायत, कांचीपुरम
30.	पी. राधाकृष्णन, सहायक अभियंता, श्रीपेरुम्बुदुर, नगर पंचायत
31.	पी. शांता जयलक्ष्मी, ई.ओ., नगर पंचायत, पीरकंकरनई
32.	ए. नटराजन, सहायक अभियंता, नगर पंचायत
33.	टी.एन. कमल राज, कार्यपालक अधिकारी, पेरुंगलतुर नगर पंचायत
34.	एन.एम. मुरुगन, ईओ, मामल्लपुरम नगर पंचायत
35.	वी. राजेन्द्रन, ईओ, करुंगुली नगर पंचायत
36.	एम. वेंकटेशन, ईओ, नंदीवरम गुडुवनचेरी नगर पंचायत
37.	एम. केशवन, ईओ, उदीरामेरुर नगर पंचायत
38.	आर. गोविन्दराजू, जेई, चिल्लापक्कम नगर पंचायत
39.	सी. उमामहेश्वरी, राजस्व सहायक, तिरुपोरुर तालुका
40.	ए. सरदार, आयुक्त, कांचीपुरम नगरपालिका
41.	के. महेन्द्रन, नगर अभियंता, कांचीपुरम नगरपालिका
42.	ई. सत्यसीलन, सहायक अभियंता, कांचीपुरम नगरपालिका
43.	एस. चोकालिंगम, सहायक कार्यपालक अभियंता, पीडब्ल्यूडी भवन
44	के. सत्य नारायणन, सीएसआर, जेआर (को–ऑप), कांचीपुरम

45.	आर. जे. अदीयमान, जीएम, केसीसी बैंक, कांचीपुरम
46.	डीआर. फिंटनमिस्सेन, जेडी (एएच), कांचीपुरम
47.	एम. हेबसुर रहमान, अग्रणी बैंक प्रबंधक, कांचीपुरम
48.	एम. मनिवासकम, एडी (पंचायत), मदुरान्तकम
49.	आर. रामा प्रभा नलिनी, कृषि अधिकारी (पीपीएम)
50.	पी. देवी श्यामला, एचओ (टेक.), उप निदेशक, बागवानी
51.	पी. मनिवन्नन, अधीक्षक, जिला वन कार्यालय
52.	बी. मुरली, डीबीसीडब्ल्यूओ
53.	आर. मनोहरन डीआर, चेन्नई (लेखापरीक्षा) दक्षिण
54.	एम. देवकी, जिला रजिस्ट्रार, कांचीपुरम
55.	पी.पी. सुमति, जिला रजिस्ट्रार, चेंगलपेट
56.	डॉ. के. कल्पना, आवासीय चिकित्सा अधिकारी, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, कांचीपुरम
57.	एम. मुरली, प्रोग्रामर (चुनाव), कलक्ट्रेट
58.	आर. तिरुवलरसेल्वी, सीईओ, कांचीपुरम
59.	आर. पन्नीरसेल्वम, डीएसओ, कांचीपुरम
60.	एस. गंगाधरणी, एडी पंचायत
61.	ए. मुथैया, ईई/पीडब्ल्यूडी/डब्ल्यूआरडी, कांचीपुरम
62.	जी. आर. राधाकृष्णन, एईई/पीडब्ल्यूडी/डब्ल्यूआरडी
63.	आर. श्रीनिवासन, ईई/टीडब्ल्यूएडी/मराईलाई नगर

चेन्नई (22.06.2017)

डॉ. के. सत्यगोपाल, प्रधान सचिव/आयुक्त, राजस्व प्रशासन

श्री अतुल्य मिश्र, प्रधान सचिव, उद्योग, तमिलनाडु सरकार

श्री कंडासामी, संयुक्त निदेशक, डीएम, डीआरओ, एसडीएमए

सुश्री अलगु मीना, सहायक आयुक्त, चेन्नई नगर निगम (पूर्व जिला राजस्व अधिकारी, चेन्नई जिला)

श्री सुरेश, सीआरए कार्यालय

अनुबंध ***IV***

एनडीएमए बैठक–अधिकारियों की उपस्थिति			बृहत्तर चेन्नई निगम (22.06.2017)
क्रम संख्या	नाम	पदनाम	संगठन
1.	डॉ. डी. कार्तिकेयन, भा.प्र.से. (आईएएस)	आयुक्त	बृहत्तर चेन्नई निगम
2.	एम. गोविन्द राव, भा.प्र.से.	उपायुक्त (निर्माण–कार्य)	बृहत्तर चेन्नई निगम
3.	के.एस. कंडासामी, भा.प्र.से.	उपायुक्त (शिक्षा)	बृहत्तर चेन्नई निगम
4.	एम. पुगलेंदी	प्रधान मुख्य अभियंता	बृहत्तर चेन्नई निगम
5.	एल. नन्दकुमार	अधीक्षण अभियंता (एसडब्ल्यूडीडी)	बृहत्तर चेन्नई निगम
6.	आर. अलगु मीना	सहायक आयुक्त (जीए और पी)	बृहत्तर चेन्नई निगम

टिप्पणी : कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता और सहायक अभियंता व अधिकारी थे जिन्होंने तूफानी जल–निकास विभाग की ओर से बैठक में भाग लिया।

अनुबंध V

चेन्नई कलक्ट्रेट में दिनांक 22.06.2017 को शामिल होने वाले प्रतिभागियों की सूची

क्रम संख्या	नाम और पदनाम
1.	एम. तुलसी रेड्डी, प्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक, एगमोर शाखा
2.	के.पी. जयकुमार, सहायक सचिव–II , एसटीए का कार्यालय, चेन्नई (परिवहन विभाग)
3.	जी. जोति, उपायुक्त (उत्तर), नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
4.	एम. नागम्मल, सहायक आयुक्त, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
5.	श्री एल. सिंगराम, उपायुक्त (दक्षिण), नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग
6.	सुश्री एल. अमरावती, अधीक्षक, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, थाउजैंड लाइट्स, चेन्नई
7.	सुश्री इंदिरा, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सैदापेट, चेन्नई
8.	वी. वासुकी, डीआईजी, चेन्नई जोन, रजिस्ट्रेशन विभाग
9.	के.एस. उषा, अधीक्षक, रोजगार और प्रशिक्षण निदेशालय का कार्यालय रोजगार और प्रशिक्षण विभाग
10.	ईतेराजुलु. आर., जिला शिक्षा अधिकारी, चेन्नई उत्तर
11.	के. शक्ति कुमार, सहायक निदेशक, जनगणना, जनगणना प्रचालन निदेशालय, तमिलनाडु
12.	एस. कुमार. मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, भारतीय तेल निगम, चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय
13.	टी. रमेश, वरिष्ठ प्रबंधक, भारतीय तेल निगम, चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय
14.	सी. जैस्मिन, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी, चेन्नई, दिव्यांगजन कल्याण विभाग
15.	सुश्री संगीता, भा.प्र.से., प्रभारी–कलक्टर, चेन्नई

अनुबंध VI

यात्रा के दौरान, केंद्रीय टीम ने कई लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की। उनके प्रत्यक्ष अनुभवों को नीचे उल्लिखित किया गया है :

क) शैक्षणिक प्रमाण–पत्र

1. श्री ए. अब्दुल रशीद, थेराडि थेरु, कांचीपुरम–मैंने ओली मोहम्मद पेट्टई में बाढ़ में अपना कक्षा 10वीं और 12वीं का अंक पत्र और प्रमाण–पत्र खो दिया। मैंने सी.एम. सुब्बराया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बड़ा कांचीपुरम में शिविर में निर्धारित फार्म पर आवेदन किया। मुझे अपने मोबाइल फोन पर एक कॉल आया जिसमें मुझसे खोए हुए दस्तावेजों को शिविर में आकर प्राप्त करने के लिए कहा गया था। मैं उसी शिविर में गया तथा उसे प्राप्त किया।

2. श्री हरि कृष्णन, सेक्कुपेट स्ट्रीट, कांचीपुरम–2015 की बाढ़ में, मैंने रामापुरम, चेन्नई में अपनी कक्षा 12वीं का अंकपत्र खो दिया। पचैयप्पा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कांचीपुरम में एक शिविर का आयोजन किया गया था। मैंने अपना आवेदन दिया तथा 15 दिनों के भीतर मेरे पास एक कॉल आई और मैंने अपने प्रमाण–पत्रों को प्राप्त किया।

ख) ड्राइविंग लाइसेंस

3. श्री पी. कुमार, 91, तयारपुरम मेडु, धर्मलिंगेश्वरर नगर, कांचीपुरम (मोबाइल नं० 9566300096)–मुझे अन्ना अरंगम में शिविर में, निर्धारित फार्म मिल गया और मेरे पास अपने खोए हुए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया। मेरे पास मेरे मूल लाइसेंस की जिरॉक्स प्रति थी जिसे मैंने प्रस्तुत किया। आरटीओ कार्यालय ने मुझे यहां आने के लिए कहा, मेरा फोटो खिंचवाया तथा शिविर में एक अलग कांउटर पर मेरा लाइसेंस जारी किया। बैंक अपनी शाखाओं में खोई हुई पासबुक के लिए डुप्लीकेट पासबुक भी जारी कर रहे थे।

4. श्री आर. शक्तिवेल, 43/23, पलाडि तोप्पु स्ट्रीट, कांचीपुरम (मोबाइल नं० 9629357054)–मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खो दिया था किंतु मेरे पास उसकी एक फोटोकॉपी उपलब्ध थी। मैंने अन्ना अरंगम में शिविर में लाइसेंस की फोटोकॉपी के साथ एक आवेदन किया। अधिकारियों ने मुझे आरटीओ आने के लिए तारीख दी। जब मैं दी गई तारीख पर वहां गया तो मेरा फोटो खिंचवाया गया तथा लाइसेंस तत्काल जारी करा गया।

5. आर. शक्ति, (मोबाइल नं० 9629867054)–स्थानीय शिविर में मुझे आवेदन प्रपत्र मिला, मैंने उसे भर दिया, उसे पृष्ठांकित कराया तथा आरटीओ को भेज दिया। आरटीओ में दी गई तारीख पर मेरा फोटो खींचा गया और मुझे लाइसेंस जारी किया गया।

ग) भूमि रेकॉर्ड/अभिलेखों का पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन

6. श्री एन. करुणाकरण (मोबाइल नं० 9789528242)– वर्षा के दौरान मेरे भूमि रेकॉर्ड दस्तावेज खो गए थे। मुझे अन्ना आरंगम से एक आवेदन प्रपत्र मिला। एक सप्ताह के भीतर, मुझे मेरे दस्तावेज को प्राप्त करने के लिए मेरे मोबाइल पर सूचित किया गया था।

7. श्री कृष्णन, आयु 60, नं०13, 4वीं स्ट्रीट, अन्नई सत्य नगर, मनाली हाई रोड (मोबाइल नं० 9092309899)–मैंने बाढ़ में अपनी भूमि संबंधी दस्तावेज खो दिए थे। मैंने शिविर में मूल दस्तावेज की फोटोकॉपी जमा करा दी। मुझे उसकी एक पावती दी गई थी और 4–5 दिनों के भीतर, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं गया और अपना दस्तावेज प्राप्त किया।

घ) कृषि फसल ऋण

8. श्री वी. भास्करन (मोबाइल नं० 9790009995)– कम से कम 400 किसानों को 1 रुपए के प्रीमियम पर सहकारी बैंकों से ऋण मिला। हालांकि, वर्ष 2016 में कोई ऐसी बीमा/राहत नहीं मिली थी।

9. श्री जी. शंकर, शेकनकुलम ग्राम (मोबाइल नं० 9940858532)– 2015 में फसल के मौसम के दौरान लगातार वर्षा ने 3 एकड़ के क्षेत्र में मेरी फसल को नुकसान पहुंचाया। वीएओ ने आकर नुकसान का निरीक्षण किया। इससे मुझे बाढ़ राहत मिलने में मदद मिली। मैंने वर्ष 2015 में सहकारी बीमा नहीं लिया था।

सार

मोटर वाहन– आपदा प्रबंधन–2015 उत्तर–पूर्व मानसून–बाढ़–दस्तावेजों की हानि–ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण का प्रमाण–पत्र, परमिट–बाढ़–पीड़ित यक्तियों हेतु प्रतियों/डुप्लीकेट दस्तावेजों को जारी करना–सरकार द्वारा विशेष शिविर–शुल्कों के भुगतान से पूरी तरह छूट–आदेश–जारी किए गए।

गृह (टीआर. **VII**) विभाग

जी.ओ. एम.एस. सं. 883 दिनांकित : 08.12.2015

पढ़ा :

1. दिनांक. 07.12.2015 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा
2. जी.ओ. (एमएस) सं. 423, राजस्व विभाग, दिनांकित. 07.12.2015
3. परिवहन आयुक्त से, पत्र
   आर.नं. 57625/एच2/2015, दिनांकित. 08.12.2015

———

आदेश :

माननीय मुख्यमंत्री ने 07.12.2015 की घोषणा में, अन्य बातों के अलावा, चेन्नई, तिरुवल्लुर, कांचीपुरम तथा कुड्डालोर जिलों में भारी बाढ़ के कारण जिन्होंने दस्तावेज खो दिए थे, उनके द्वारा दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आर.सी. बुक, आदि, की प्रतियां प्राप्त करने के लिए शुल्क के भुगतान से पूरी तरह छूट देने का आदेश दिया।

2) ऊपर दिए गए दूसरे सरकारी आदेश में, सरकार ने दिनांक 14.12.2015 से दो सप्ताह के लिए विशेष शिविर लगाने का निर्देश दिया है जिसमें राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के संगठनों के विभिन्न विभागीय अधिकारियों को भाग लेना है तथा प्रभावित जनता से आवेदन प्राप्त करना है तथा बिना कोई शुल्क वसूले एक सप्ताह के भीतर उन्हें दस्तावेजों की आवश्यक प्रतियां जारी करनी हैं।

3) उपर्युक्त तृतीय पत्र में पठित, परिवहन आयुक्त, चेन्नई ने सरकार से निम्नलिखित के अनुसार आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है :

क) केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 32 तथा तमिलनाडु मोटर वाहन नियमावली के नियम 25, 26, 28, 48, 49, 431 तथा अन्य संबद्ध प्रावधानों/नियमों के साथ पठित, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 211 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बाढ़ के कारण जिनके ड्राइविंग लाइसेंस खो गए, नष्ट हो गए, विरूपित/विकृत हो गए या फट गए, उनके लिए प्रति (कॉपी)/डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क की छूट दी जा सकती है।

ख) केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 53 और 81 तथा तमिलनाडु मोटर वाहन, 1989 के नियम 100, 131, 431 और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों/नियमों के साथ पठित, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 211 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बाढ़ के कारण जिनके रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र खो गए या नष्ट हो गए, उनके लिए प्रति/रजिस्ट्रेशन का डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए शुल्क की छूट दी जा सकती है।

ग) तमिलनाडु मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के नियम 215, 278, 279, 431 तथा अन्य संबद्ध प्रावधानों/नियमों के साथ पठित, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 211 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बाढ़ के कारण जिनके परमिट खो गए, नष्ट हो गए या कट–फट गए, उनके लिए उनकी प्रति (कॉपी)/डुप्लीकेट परमिट जारी करने के लिए शुल्क की छूट दी जा सकती है।

4) सरकार ने परिवहन आयुक्त के प्रस्ताव की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, उसे स्वीकृत करने का निर्णय लिया और तदनुसार निम्नलिखित रूप में आदेश जारी किया :

1. केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 32 तथा तमिलनाडु मोटर वाहन नियमावली के नियम 25, 26, 28, 48, 49, 431 तथा अन्य संबद्ध प्रावधानों/नियमों के साथ पठित, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 211 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बाढ़ के कारण जिनके ड्राइविंग लाइसेंस खो गए, नष्ट हो गए, विरूपित/विकृत हो गए या फट गए, उनके लिए उनकी प्रति (कॉपी)/डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए शुल्क की पूरी छूट दी गई है।

2. केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 53 और 81 तथा तमिलनाडु मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 100, 131, 431 और अन्य सम्बद्ध प्रावधानों/नियमों के साथ पठित, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 211 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बाढ़ के कारण जिनके पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन का प्रमाण–पत्र खो गए या नष्ट हो गए, उनके लिए उनकी प्रति/रजिस्ट्रेशन का डुप्लीकेट प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए शुल्क की पूरी छूट दी गई है।

3. तमिलनाडु मोटर वाहन नियमावली, 1989 के 215, 278, 279, 431 तथा अन्य संबद्ध प्रावधानों/नियमों के साथ पठित, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 211 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, बाढ़ के कारण जिनके परमिट खो गए, नष्ट हो गए या कट–फट गए, उनके लिए प्रति (कॉपी)/डुप्लीकेट परमिट जारी करने के लिए शुल्क में पूरी छूट दी गई है।

5) यह आदेश केवल चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कुड्डालोर जिलों के बाढ़–पीड़ित लोगों के लिए लागू है तथा उपर्युक्त कॉपियों/डुप्लीकेट दस्तावेजों के जारी करने के लिए विशेष शिविरों के पूरा होने तक लागू रहेगा।

(राज्यपाल के आदेश से)

अपूर्व वर्मा
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,
परिवहन आयुक्त, चेन्नई–5,
जिला कलक्टर,
चेन्नई, कांचीपुरम, तिरुवल्लुर और कुड्डालोर।
परिवहन आयुक्त, चेन्नई–5 के माध्यम से संबंधित आरटीओ।
<u>प्रति</u>
माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, चेन्नई–9।
माननीय परिवहन मंत्री के विशेष वैयक्तिक सहायक., चेन्नई–9।
सरकार के प्रधान सचिव के वैयक्तिक सहायक,
गृह, मद्य–निषेध और आबकारी उत्पाद शुल्क विभाग, चेन्नई–9

//आदेश द्वारा अग्रेषित किया गया//

अनुभाग अधिकारी

अनुबंध VIII

तालुका का नाम..दिनांक...टोकन नं०...

विशेष शिविर–जी.ओ. एमएस. नं० : 423, राजस्व (डीएम 2) विभाग, तमिलनाडु सरकार

डुप्लीकेट आधार प्राप्त करने के लिए निवासी द्वारा भरे जाने वाला फॉर्मेट

क्रम संख्या	विवरण	निवासी द्वारा भरे जाने हैं
1.	आधार संख्या, यदि मालूम हो	
2.	नामांकन संख्या, यदि मालूम हो	
3.	नाम (जैसा आधार कार्ड में है)	
4.	पिता का नाम (जैसा आधार कार्ड में है)	
5.	लिंग	
6.	जन्म तिथि	
7.	जिला व पिनकोड	
8.	मोबाइल नम्बर	

कार्यालय के प्रयोजन के लिए :

आधार संख्या :

नामांकन संख्या :

टिप्पणी, यदि कोई हो :

पावती

विशेष शिविर–डुप्लीकेट आधार प्राप्त करने के लिए

तालुका का नाम : ....दिनांक : ....टोकन नं० : ....

तमिल भाषा में प्रपत्र/पत्र

अनुबंध ***IX***

வ. எண்:

நாள்:

உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும்
நுகர்வோர் பாதுகாப்புத் துறை
மண்டலம் / வட்டம்

ஒப்புதல் சீட்டு

மனு எண் :	
மனு பெறப்பட்ட நாள் :	
விண்ணப்பதாரர் பெயர்:	
முகவரி :	
குடும்ப அட்டை எண் :	
கோரிக்கையின் தன்மை :	
முடிவு தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நாள் :	

கையொப்பம்

உ.பொ.வ.(ம) நு.பா.து.1

GCP-105-1—19-5-2011—51,30,000 Cps. [HCL-10]

மக்கள் சாசனம்

பணியின் வகை	கால வரையரை
குடும்ப உறுப்பினர்களின் பெயர்களை சேர்த்தல் / நீக்குதல் (அந்தப் பகுதி உணவு பங்கீட்டு அலுவலகத்தில் அளிப்பதன் பேரில்)	தேவையான ஆதாரத்துடன் குடும்ப அட்டைகள் அளிப்பதன் பேரில் மூன்றாம் நாள்
அதே நியாய விலைக் கடையின் அதிகார வரம்பிற்குள் முகவரி மாற்றம்	மூன்று நாட்களுக்குள்
நியாய விலைக் கடை மாற்றம் மற்றும் முகவரி மாற்றம்	ஒரு வாரத்திற்குள்
வேறு மாநிலங்களுக்கு அல்லது வெளிநாடு அல்லது வேறு வகையில் குடும்பத்தை மாற்றிச் செல்வதன் பேரில் குடும்ப அட்டை ஒப்படைப்பு சான்றிதழ் வழங்கல்.	இரண்டு நாட்கள்
மாநிலத்திற்குள் வேறு மாவட்டம் அல்லது வட்டம் / மண்டலத்திற்கு முகவரி மாற்றம்.	ஏழு நாட்களுக்குள்
வேறு மாநிலத்திலிருந்து மாற்றப்பட்டு வரும் நேர்வில், தேவையான ஆதாரம் அளிக்கப்படுவதற்குட்பட்டு குடும்ப அட்டை புதியதாக வழங்குதல்.	60 நாட்கள்

பொது விநியோகத் திட்டம், குடும்ப அட்டைகள் மற்றும் வெளிச்சந்தையில் வாங்கும் பொருட்கள் / சேவைகளிலுள்ள குறைபாடுகள் குறித்து புகார்கள் அளிக்கவும் ஆலோசனைகள் பெறவும் அணுகுவீர்:

"மாநில நுகர்வோர் சேவை மையம்"

044-28592828

கூடுதல் விவரங்களுக்கு : **www. consumer.tn.gov.in**

ல் பாதிப்படைந்த குடும்ப அட்டைக்கு நகலட்டை கோரும் விண்ணப்பம்

DC / Flood / 171 / 15
Royapuram Zone

னுப்புநர்

M.ரமேஷ்குமார்
33/17, M.கே.பி.நகர் 28 தெரு,
சென்னை-118

செல்போன் எண்: 7299357646.

பெறுநர்

உதவி ஆணையர்,
உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை,
இராயபுரம் மண்டலம்.

குடும்ப அட்டை எண் : 24/W/0013061
அ.பதிவேட்டு எண் : 1075
அங்காடி குறியீடு : BE026

அம்மையீர்,

எனது குடும்ப அட்டை மழைநீரால் பாதிப்படைந்தது ,என சான்றளிக்கிறேன். இந்த குடும்பஅட்டையின் பேரில் எனக்கு நகல் குடும்ப அட்டை வழங்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்,

Assistant Commissioner (C.S)
ROYAPURAM ZONE

தங்கள் உண்மையுள்ள,

உணவுப்பொருள் வழங்கல் மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை

நகல் குடும்ப அட்டை கோரிய விண்ணப்பதாரர் தொடர்பான
ணும் விபரங்களை தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

DC/165/15

கண்காணிப்பாளர்
உதவி ஆணையர் அலுவலகம்
இராயபுரம் மண்டலம்

பெறுநர்
சம்மந்தப்பட்ட அங்காடி பணியாளர்.

குடும்பஅட்டை விபரங்கள்

1. குடும்ப அட்டைதாரர் பெயர் : M. Lawni
2. குடும்ப அட்டை எண் : 01 G 0325340
3. 'அ' பதிவேட்டு எண் : 245
4. குடும்ப அட்டை நடைமுறையில் உள்ளதா? : ஆம் ✓ / இல்லை
5. கடைசியாக பொருள் வழங்கிய நாள் : 24/11/15
6. அங்காடி முத்திரை

142, T.H. ரோடு
சென்னை-21.
B.E. 014

R. Parlan 23/12/15
அங்காடி பணியாளர் கையொப்பம்

अनुबंध ***X***

चेन्नई जिले में प्राकृतिक आपदा/बाढ़ राहत शिविर

तालुका : एमबीएम तेल कंपनियां : आईओसी/बीपीसी/एचपीसी क्रम सं. 25

एलपीजी कनेक्शन विवरण सहित डेटा शीट जारी करने के लिए आवेदन

ग्राहक का नाम	:	श्रीमती अमुधा
ग्राहक संख्या	:	सी एक्स 19217704
संपर्क संख्या	:	9841237059
पता	:	16/128, 8वीं गली
		कामराज कॉलोनी, कोडम्बक्कम, चेन्नई–24
वितरक का नाम	:	बाशेगम गैस सर्विस

दस्तावेजों का खोना

आवेदक के हस्ताक्षर

तमिल भाषा में सिलेंडर खोने की रिपोर्ट का प्रपत्र

சென்னை மாவட்டம்

வெள்ளத்தின் பாதிப்பால் இழக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் / ஆவணங்களின் நகல் வழங்கும் சிறப்பு முகாம்

விண்ணப்ப படிவம்

மனு எண். 23551

நாள் : 21.12.2015

1.	மனுதார்ரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	PARVATHI
2.	கைபேசி எண்.	9840174246
3.	மழை வெள்ளத்தில் இழந்த சான்று / ஆவணத்தின் விபரம்	
4.	மழை வெள்ளத்தில் இழந்த சான்று / ஆவணத்தின் நகல் ஏதேனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா ?	ஆம் / இல்லை
	இருப்பிட முகவரிக்கான ஆதாரம் ஏதும் இருப்பின் அதன் விபரம்	
6.	துறை	LPG. Soc
7.	குறிப்பு	Loss of ONE Cyl. Missing

P. பார்வதி

மனுதாரரின் கையொப்பம்

अनुबंध ***XI***

तालुका का नाम :.....दिनांक :.....टोकन नं० :.....

विशेष शिविर–जी.ओ. एमएस. नं० : 423, राजस्व (डीएम 2) विभाग, तमिलनाडु सरकार

डुप्लीकेट आधार प्राप्त करने के लिए निवासी द्वारा भरे जाने वाले फॉर्मेट/प्रारूप

क्रम संख्या	विवरण	निवासी द्वारा भरे जाने हैं
1.	आधार संख्या, यदि मालूम हो	
2.	नामांकन संख्या, यदि मालूम हो	
3.	नाम (जैसा आधार कार्ड में है)	
4.	पिता का नाम (जैसा आधार कार्ड में है)	
5.	लिंग	
6.	जन्म तिथि	
7.	जिला व पिनकोड	
8.	मोबाइल नम्बर	

कार्यालय के प्रयोजन के लिए :
आधार संख्या :
नामांकन संख्या :
टिप्पणी, यदि कोई हो :

पावती

विशेष शिविर–डुप्लीकेट आधार प्राप्त करने के लिए

तालुका का नाम :.....दिनांक :.....टोकन नं० :.....

तमिल भाषा में प्रपत्र

अनुबंध ***XII***

சென்னை மாவட்டம்

வெள்ளத்தின் பாதிப்பால் இழக்கப்பட்ட சான்றிதழ்கள் / ஆவணங்களின் நகல் வழங்கும் சிறப்பு முகாம்

விண்ணப்ப படிவம்

மனு எண். 46002 நாள் :

1.	மனுதாரர் பெயர் மற்றும் முகவரி	
2.	கைபேசி எண்.	
3.	மழை வெள்ளத்தில் இழந்த சான்று / ஆவணத்தின் விபரம்	
4.	மழை வெள்ளத்தில் இழந்த சான்று / ஆவணத்தின் நகல் ஏதேனும் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா ?	ஆம் / இல்லை
5.	இருப்பிட முகவரிக்கான ஆதாரம் ஏதும் இருப்பின் அதன் விபரம்	
6.	துறை	
7.	குறிப்பு	

மனுதாரரின் கையொப்பம்

மனு எண். 46002 துறை :

ஒப்புகை சீட்டு

மனுதாரரிடமிருந்து விண்ணப்ப படிவம் பெற்றுக் கொண்டமைக்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது.

நாள் :

அலுவலர் கையொப்பம்

अनुबंध XIII

एन.टी.सी. प्रमाण पत्र सं.1033000009

NTC Certi icate No. 1033000009

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT,
राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL FOR VOCATIONAL TRAINING

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण - पत्र
NATIONAL TRADE CERTIFICATE

श्री/श्रीमती/कुमारी *P. Shanmugam*

सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री *P. Pachaiyappan* को

Government Industrial Training Institute, North Chennai, Chennai, Tamil Nadu में

प्रशिक्षण पूरा करने और माह *July* सन् *2010* में आयोजित

Fitter की निर्धारित व्यवसाय

परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर यह व्यवसाय प्रमाण - पत्र प्रदान किया जाता है।

प्रशिक्षण अवधि *Aug-2008* से *Jul-2010* तक तथा स्कूल के प्रमाणपत्र में दर्ज जन्म तिथि *05-Feb-1990* है।

Shri/Shrimati/Kumari *P. Shanmugam*

Son/Wife/Daughter of Shri *P. Pachaiyappan* having completed

the course of training at *Government Industrial Training Institute, North Chennai, Chennai, Tamil Nadu*

and passed the prescribed trade test in the trade of *Fitter*

held in the Month of *July* year *2010* is awarded this trade certificate.

Period of Training from *Aug-2008* To *Jul-2010* and Date of Birth as recorded in school certificate is *05-Feb-1990*

दिनांक/Date *11-Apr-17*

सदस्य सचिव
Member Secretary

राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्
National Council For Vocational Training

This is a computer generated certi icate and it does not require any physical signature or attestation. All contents of this certi icate can be veri ied for authenticity by the process of online veri ication through scanning the QR code printed above. The veri ication can also be done by visiting DGE&T's veri ication portal (http://ncvtmis.gov.in/Pages/Certi ication/Validate.aspx) and entering the e-Certi icate number. The DGE&T shall not be responsible for any direct or indirect inancial losses, any loss of goodwill or reputation, or any other loss or damage caused by any incorrect / fraudulent information in this computer generated certi icate that cannot be validated by the DGE&T's veri ication portal. DGE&T also reserves the right to take appropriate legal action in such cases.

तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन अभिकरण (एजेंसी)

प्रेषक
डॉ. के. सत्यगोपाल, भा.प्र.से.,
प्रधान सचिव,
आयुक्त, राजस्व प्रशासन
चेपॉक, चेन्नई–05

सेवा में,
1. सभी जिला कलक्टर, (डब्ल्यू.ई)
2. आयुक्त,
बृहत्तर चेन्नई निगम
रिबन भवन, चेन्नई–3 ।

पत्र सं. एनसी 1(4) / 5779 / 2016, दिनांकित : 04.10.2016

महोदय / महोदया,

विषय : प्राकृतिक आपदाएँ – उत्तर–पूर्व मानसून 2016–जिला समन्वय समिति की बेठक का आयोजन– जिला आपदा प्रबंधन योजना का अद्यतन–आपदा से निपटने की तैयारी, तत्काल राहत और बहाली के उपाय, इत्यादि पूरे किए जाने हैं–निर्देश जारी किए गए।

संदर्भ :
1 पीएस / सीआरए डी.ओ. पत्र सं. आरसी. सं. एनसी–1(4) / 5779 / 2016, दिनांकित : 20.05.2016 ।
2 इस कार्यालय का परिपत्र निर्देश संख्या आरसी. सं. एनसी–1(4) / 5779 / 2016, दिनांकित : 29.08.2016 ।
3 इस कार्यालय का परिपत्र निर्देश संख्या आरसी. सं. एनसी–1(4) / 5779 / 2016, दिनांकित : 16.09.2016 (केवल समुद्रतटीय जिले) ।
4 बैठक एनसी–1(4) / 5779 / 2016, दिनांक : 30.09.2016 के इस कार्यालय का कार्यवृत्त।
5 बैठक एनसी–2(2) / 6259 / 2016, दिनांक : 30.09.2016 के इस कार्यालय का कार्यवृत्त।

मैं उद्धृत संदर्भों पर ध्यान आकर्षित करता हूँ।

2) जिलों के द्वारा (1) संस्थागत तंत्र / व्यवस्था (2) प्रशमन उपाय (3) खतरा, असुरक्षितता और जोखिम विश्लेषण, (4) आपदा से निपटने की तैयारी तलाशी, (5) बचाव और सुरक्षित निकासी तथा (6)राहत उपायों आदि को कवर करते हुए आपदा प्रबंधन उपायों को किए जाने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं।

3) जिलों में विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए आपदा से निपटने की तैयारी, गाद निकासी और जल निकायों में अतिक्रमणों को हटाने की प्रगति की निगरानी के लिए एक जांच सूची और फार्मेट इसके साथ संलग्न हैं।

4) जांच–सूची के संदर्भ में स्थिति रिपोर्ट और निर्धारित प्रारूप तालिका I और तालिका II में साप्ताहिक प्रगति इस कार्यालय को प्रस्तुत की जानी है।

भवदीय,
ह० / – के. सत्यगोपाल,
प्रधान सचिव /
आयुक्त, राजस्व प्रशासन

/ / आदेश द्वारा अग्रेषित किया गया / /

अधीक्षक

तमिलनाडु राज्य आपदा प्रबंधन

अभिकरण

उत्तर पूर्वी मानसून–2016

जाँच–सूची

क्रम संख्या	विवरण	हाँ/नहीं	यदि नहीं, तो वह/तिथि जब तक यह पूरा हो जाएगा
1.	जिला आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करना/अद्यतन करना		
2.	तालुक स्तरीय आपदा प्रबंधन योजना		
3.	क) डीडीएमए की बैठक ख) संबंधित विभागों के साथ जिला समन्वय समिति बैठक		
4.	आपदा प्रबंधन पर पुस्तिका (हैंड बुक) तैयार करना।		
5.	असुरक्षित क्षेत्रों में मॉक ड्रिल।		
6.	डीईओसी को मजबूत बनाना।		
7.	वर्षा मापी यंत्रों की काम करने की स्थिति।		
8.	असुरक्षित क्षेत्रों की पहचान करना।		
9.	असुरक्षित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना।		
10.	जिला स्तर, तालुक स्तर, ब्लॉक स्तर और असुरक्षित क्षेत्र स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति।		
11.	नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण।		
12.	क) असुरक्षित स्थानों में स्थानीय समुदाय सहित जोनल टीमों का गठन। ख) क्या जोनल टीमों ने अपने क्षेत्रों का दौरा किया?		
13.	बताएं कि निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है या नहीं? i. पूर्व–चेतावनी समिति। ii. खोज और बचाव समिति iii. सुरक्षित निकासी समिति iv. राहत केंद्र/आश्रय–स्थल प्रबंधन समिति		
14.	पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा टैंकों/जल निकायों, आपूर्ति चैनलों/नहरों/नदी मार्गों का निरीक्षण		

15.	स्थानीय निकायों के अभियंताओं द्वारा स्थानीय निकायों के नियंत्रण के अधीन जल निकायों/आपूर्ति चैनलों का निरीक्षण		
16.	असुरक्षितता मानचित्रण (मैपिंग) के आधार पर बचाव टीमों हेतु तैनाती योजना की तैयारी		
17.	क्या आपदा से निपटने की उनकी तैयारी के बारे में निजी संस्थानों/अस्पतालों/शैक्षणिक संस्थानों आदि को सुग्राहीकृत किया गया है।		
18.	असुरक्षित क्षेत्रों के लिए अपेक्षित यंत्र–समूहों/मशीनों के स्टॉक की सूची की तैयारी।		
19.	अति असुरक्षित क्षेत्रों में हरित गलियारा स्थापित करने के लिए पुलिस द्वारा यातायात योजना की तैयारी		
20.	क्या नागरिक आपूर्ति/मत्स्य पालन/अग्निशमन सेवा के परामर्श से असुरक्षित स्थानों के लिए खाद्य मदों (नागरिक आपूर्ति), नौकाओं (अग्निशमन सेवा, मत्स्य पालन) हेतु अग्रिम भंडारण केंद्र/स्थान की पहचान की गई।		
21.	एनजीओ/रेड क्रॉस/सेवा संगठन आदि के साथ समन्वय बैठक		
22.	क) प्रथम मोचकों की पहचान और प्रशिक्षण (स्वयंसेवक)। ख) कलक्टरों द्वारा प्रथम मोचकों के साथ बैठक।		
23.	क्या सभी पुलिया/पुलों के नीचे की रुकावटें साफ (क्लियर) कर दी गई हैं।		
24.	क्या अदंगल्स ठीक से अद्यतन किए गए हैं? (अजमोइश प्रविष्टियां)		
25.	क्या कृषि विभाग के साथ फसल–वार निपटारा आवधिक रूप से किया जाता है तथा सरकार/विभाग को रिपोर्ट भेजी जाती है?		
26.	फसल बीमा योजना में कृषकों/किसानों का नामांकन।		

ह०/– के. सत्यगोपाल
प्रधान सचिव/आयुक्त, राजस्व प्रशासन

कृते प्रधान सचिव/
आयुक्त, राजस्व प्रशासन

अनुबंध ***XV***

विभिन्न दस्तावेजों की डुप्लीकेट प्रतियां जारी करने के लिए फार्मेट

दस्तावेजों की हानि के बारे में सूचना देने के लिए निवासी द्वारा भरे जाने वाला फॉर्मेट

क्रम संख्या	विवरण	निवासी/आवेदक द्वारा भरे जाने हैं
1.	आवेदक का नाम और पता	
2.	मोबाइल नम्बर	
3.	खो गए दस्तावेजों की सूची	
4.	क्या आवेदित/खो गए दस्तावेजों की फोटोकॉपियां उपलब्ध हैं हाँ नहीं	
5.	क्या आवेदित/खो गए दस्तावेजों की फोटोकॉपियां संलग्न हैं हाँ नहीं	
6.	निवास प्रमाण विवरण	
7.	आवेदन हेतु विभाग	
8.	टिप्पणी	
9.	दिनांक	
10.	आवेदक के हस्ताक्षर	

अनुबंध ***XVI***

डुप्लीकेट आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा भरा जाने वाला फार्मेट

क्रम संख्या	विवरण	निवासी/आवेदक द्वारा भरे जाने हैं
1.	आधार संख्या, यदि मालूम हो	
2.	नामांकन संख्या, यदि मालूम हो	
3.	नाम (जैसा आधार कार्ड में है)	
4.	पिता का नाम (जैसा आधार कार्ड में है)	
5.	लिंग	
6.	जन्म तिथि	
7.	जिला और पिनकोड	
8.	मोबाइल नम्बर	
9.	दिनांक	
10.	आवेदक के हस्ताक्षर	

अनुबंध XVII

पंजीकृत दस्तावेजों की नकल (डुप्लीकेट) या प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा भरा जाने वाला फार्मेट

क्रम संख्या	विवरण	निवासी/आवेदक द्वारा भरे जाने हैं
1.	आवेदक का नाम	
2.	पता और टेलीफोन नं० (यदि उपलब्ध हो तो)	
3.	दस्तावेज जिसकी प्रति के लिए आवेदन किया गया है, में आवेदक की हैसियत	• निष्पादनकर्ता ( ) • दावेदार ( )
4.	उप–रजिस्ट्रार कार्यालय जहां दस्तावेज पंजीकृत किया गया था।	
5.	दस्तावेज का स्वरूप (कृपया सही का निशान लगाएं)	• बिक्री • निपटारा • विनिमय • निर्मुक्ति • संपत्ति बंटवारा–पत्र • बंधक–पत्र • वसीयतनामा • सामान्य मुख्तारनामा
6.	ग्राम	
7.	गली का नाम/सर्वे नं० (यदि मालूम हो)	
8.	संपत्ति की सीमा	
9.	निष्पादक (एक्जीक्यूटर) का नाम	
10.	निष्पादक के पिता/पति का नाम	
11.	दावेदार का नाम	
12.	दावेदार के पिता/पति का नाम	
13.	दस्तावेज संख्या और वर्ष	
14.	यदि विवरण ज्ञात नहीं है, तो अनुमानित अवधि जिसके लिए सांकेतिक संचालन किया जाना है	
15.	प्रस्तुत किए गए पहचान प्रमाण–पत्र का विवरण	
16.	दिनांक	
17.	आवेदक के हस्ताक्षर	

अनुबंध ***XVIII***

निर्वाचक का फोटो पहचान–पत्र (एपिक) का डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा भरा जाने वाला फार्मेट

क्रम संख्या	विवरण	निवासी/आवेदक द्वारा भरे जाने हैं
1.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	
2.	विधानसभा क्षेत्र (संख्या और नाम)	
3.	निर्वाचक का नाम	
4.	मूल कार्ड का एपिक नं० (यदि ज्ञात हो)	
5.	पिता/पति का नाम	
6.	लिंग	
7.	जन्मतिथि (यदि ज्ञात न हो तो 01 जनवरी, 2017 को वर्ष में आयु)	
8.	पता मकान/द्वार संख्या स्ट्रीट/मुहल्ला/रोड/गली क्षेत्र/इलाका शहर/ग्राम पिन कोड जिला	
9.	डुप्लीकेट के लिए आवेदन करने का कारण	
10.	कृपया किसी एक पर सही का निशान लगाएं : मैं वीआरसी/सीएससी से एपिक प्राप्त करूंगा मैं डाक द्वारा अपना एपिक प्राप्त करना चाहता हूँ (पता और टिकट लगा लिफाफा संलग्न है) मैं बीएलओ से एपिक प्राप्त करूंगा	
11.	कृपया किसी एक पर सही का निशान लगाएं : मैं एतद्द्वारा अपना कटा–फटा/पुराना कार्ड वापस करता हूँ मैं पूर्व में मुझे जारी किए गए कार्ड को वापस करने का वचन देता हूँ अगर वह मुझे बाद में कभी मिल जाता है	

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)
भारत सरकार
एनडीएमए भवन
ए–1, सफदरजंग एनक्लेव
नई दिल्ली– 110 029

Design & Print : kam@kamstudio.net